वर्ष- 04 अंक -02 जुलाई 2026 मूल्य - 50 रु.

लाईफ वर्सिटी

Postal Regn. No. C.G./RYP DN/108/2024-26 RNI No. CHHHIN/2023/87466

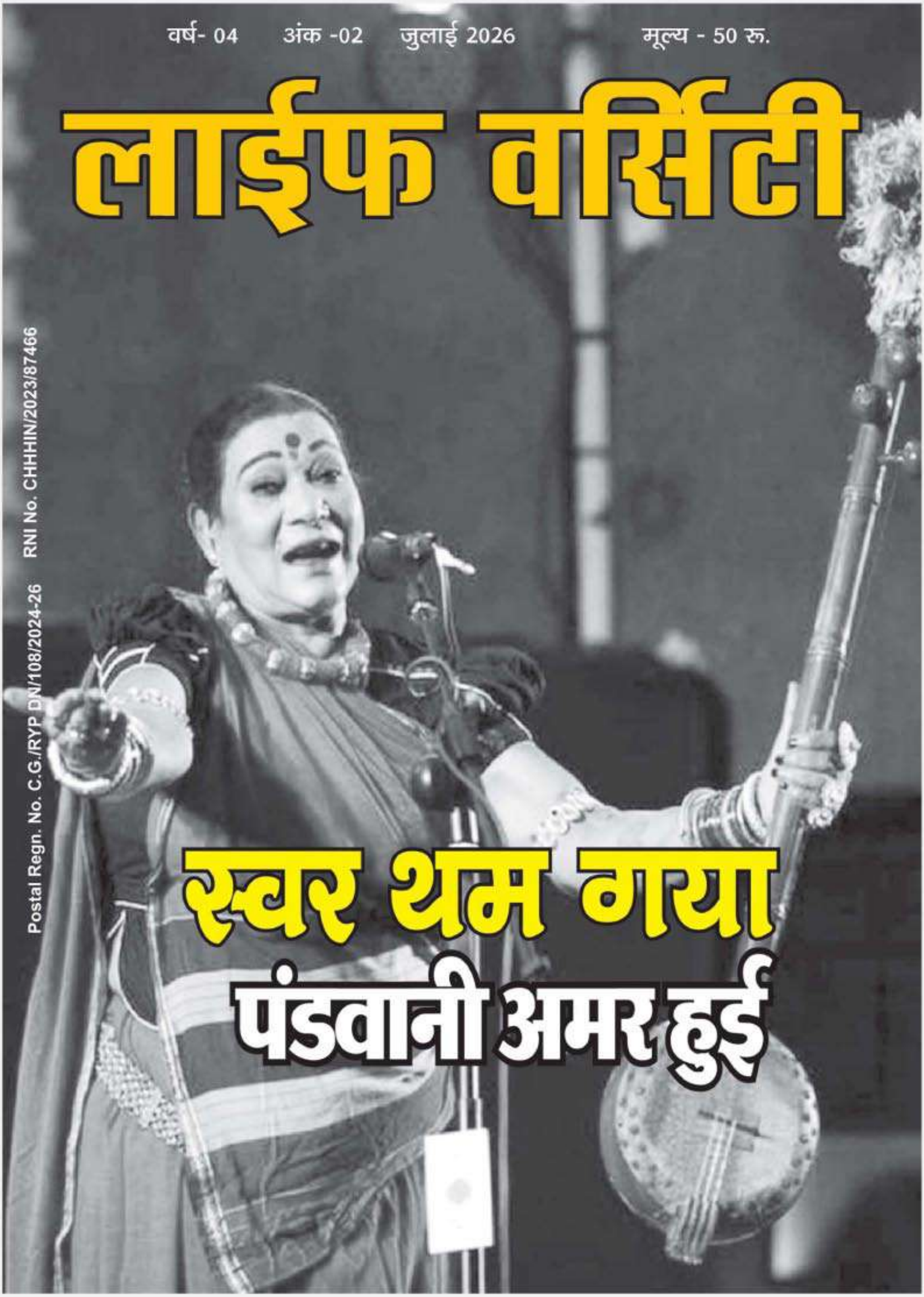

स्वर थम गया

पंडवानी अमर हुई

www.phzinfo.com

Positive Health Zone

Integrated Holistic Health Care System

Unique Wellbeing Center

Holistic Healthcare Team

Our INTEGRATED SERVICES

Holistic Path Of Wellness & Wellbeing

MIND BRAIN BODY SOUL
M.B.B.S

1. **Personal Energy Blueprint at Quantum Veda Lab with Latest Quantum Devices-**

   Aura, Chakra, Biofield, Lifeforce Energy Analysis.

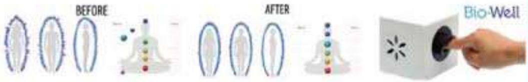

2. **Digital Nadi Parikshan Modern Nadi Veda Pulse -**

   Personality Analysis Body Type, Mind Type, Energy Type.

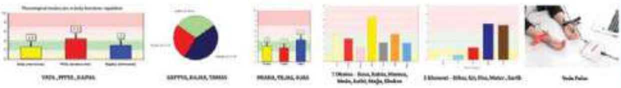

3. **Life Style Clinic**

   Personalised Diet Plan, Lifestyle Plan, Day Plan, Detox Plan as per your Quantum Analysis.

4. **Body Detox & Rejuvenation with Kerala Ayurveda Panchkarma.**

5. **Mind Detox & Stress Management with NLP & Counselling.**

6. **Inner Alingment, Chakra Balancing with PNP Meditation.**

Get In Touch
9109185028, 9109185025

A-41, Amrapali Society,
Near Ganga Diagnostics, Raipur, Chhattisgarh

www.phzinfo.com

सम्पादक
नरेन्द्र कुमार पाण्डेय

प्रबंधक
हर्षित पाण्डेय

सलाहकार मण्डल
डॉ अनिल गुप्ता — रायपुर
डॉ उदयभान सिंह चौहान — रायपुर
प्रो. डॉ शुभ्रा सान्याल — नई दिल्ली
प्रो तपन मोहन्ति — ओड़िसा

छत्तीसगढ़ कार्यालय
ए-32, आम्रपाली सोसाइटी, कलर्स मॉल के पीछे, पचपेड़ी नाका
रायपुर (छ.ग.)
मो. 88171-94979

मध्यप्रदेश कार्यालय
अनामिका पाण्डेय
गोकुलधाम बेलौहान टोला,
सामान, रीवा मप्र

प्रतिनिधि
अम्बुज अग्निहोत्री — जबलपुर
संजीव पाण्डेय — भोपाल
राजेश सिंह — बिलासपुर

कानूनी सलाहकार
संजयेंदु पंड्या

परिकल्पना
रजनीकांत पाण्डेय

अंदर के पृष्ठों पर

03 पंडवानी अमर हो गई

7 सहकारिता से बढ़ेगी किसानों की आय

5 जब ईश्वर स्वयं भक्तों के बीच उतर आते हैं

12 विकास की पहली बारिश में बह जाता भरोसा

18 जब एक बुलडोज़र कार्रवाई पूरे समाज के लिए सवाल बन जाए

22 क्या भारत ने एथेनॉल के मुद्दे पर बहुत जल्दी एक्सलरेटर दबा दिया?

राम मंदिर प्रकरण से उठते बड़े सवाल 8
जब अपने ही उठाने लगें सवाल... 10
माँ नर्मदा के तट पर कुछ दिन... 14
सेवा सेतु से सुशासन 16
जब विकास के सामने खड़ी.. 20
मुआवज़े का नागराज 25
जब ब्रहम अकेला नहीं था 28

SCAN & PAY

UPI ID: 329944413263914@cnrb

लाईफ वर्सिटी के प्रचार–प्रसार में सहयोग करें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बुरहानी प्रिंटर्स, सत्ती बाजार रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, सांई वाटिका,जोरातालाब के पास रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979
E-mail : scgnewsraipur@gmail.com | www.scgnews.in

मंथन, मंदिर और मुनाफा

देश और प्रदेश की राजनीति इन दिनों कई ऐसे मुद्दों के बीच खड़ी है, जो केवल समाचार नहीं हैं बल्कि समाज की दिशा और व्यवस्था की दशा का आईना भी हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा का मंथन शिविर, राम मंदिर में दान राशि चोरी का मामला और पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर बढ़ता विवाद–तीनों घटनाएं अलग-अलग दिखाई देती हैं, लेकिन इनका एक साझा संदेश है कि केवल घोषणाओं और प्रतीकों से व्यवस्था मजबूत नहीं होती, उसके लिए जवाबदेही और ईमानदार आत्ममंथन भी आवश्यक है।

नरेन्द्र कुमार पाण्डेय
सम्पादक

छत्तीसगढ़ में भाजपा का मंथन शिविर ऐसे समय आयोजित हुआ है जब सरकार अपने कार्यकाल के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी है। चुनाव जीतना और सरकार बनाना एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जनता हर दिन सरकार का मूल्यांकन करती है। यदि मंथन केवल आगामी चुनावों की रणनीति, संगठन विस्तार और राजनीतिक समीकरणों तक सीमित रह गया, तो उसका लाभ सीमित रहेगा। वास्तविक मंथन तब होगा जब सरकार यह स्वीकार करे कि बारिश की पहली फुहार में डूबते शहर, अधूरी सड़कें, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की चुनौतियां और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे प्रश्न भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी राजनीतिक सफलता। जनता भाषणों से अधिक परिणाम देखना चाहती है।

दूसरी ओर, अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि चोरी की घटना ने करोड़ों श्रद्धालुओं को आहत किया है। यह घटना केवल कुछ रुपये या आभूषण चोरी होने की नहीं है, बल्कि उस विश्वास पर चोट है जिसे लोग भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि नैतिकता और पारदर्शिता का प्रतीक भी होना चाहिए। यदि ऐसे पवित्र स्थानों पर भी सुरक्षा और जवाबदेही पर प्रश्न उठने लगें, तो यह पूरे प्रबंधन तंत्र के लिए चिंता का विषय है। दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है कि धार्मिक संस्थानों के वित्तीय और सुरक्षा प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाया जाए।

इसी बीच पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर भी बहस तेज हो रही है। सरकार इसे आयातित तेल पर निर्भरता कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। दूसरी ओर, कुछ विशेषज्ञ वाहनों के इंजन, ईंधन दक्षता और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। किसी भी नई नीति का मूल्यांकन भावनाओं या प्रचार के आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों और पारदर्शी आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए। यदि इथेनॉल वास्तव में लाभकारी है तो उसके प्रमाण जनता के सामने होने चाहिए, और यदि कहीं व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं तो उन्हें स्वीकार कर समाधान भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इन तीनों घटनाओं का एक साझा संदेश है–विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। सरकार पर जनता का विश्वास, मंदिरों पर श्रद्धालुओं का विश्वास और नीतियों पर नागरिकों का विश्वास। यह विश्वास केवल नारों, विज्ञापनों या राजनीतिक अभियानों से नहीं बनता। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदार कार्यशैली से अर्जित होता है।

आज आवश्यकता केवल मंथन करने की नहीं, बल्कि मंथन से निकले अमृत को व्यवहार में उतारने की है। यदि राजनीतिक दल आत्मविश्लेषण को स्वीकार करें, धार्मिक संस्थान अपनी व्यवस्थाओं को और अधिक जवाबदेह बनाएं तथा सरकारें हर नीति पर तथ्य आधारित संवाद करें, तभी लोकतंत्र और समाज दोनों मजबूत होंगे। अन्यथा मंथन केवल औपचारिकता, आस्था केवल भावना और नीतियाँ केवल प्रचार का माध्यम बनकर रह जाएँगी।

लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर जनता का विश्वास है। जिस दिन यह विश्वास टूटने लगता है, उसी दिन सबसे बड़ी चोरी हो जाती है–और उस चोरी की भरपाई किसी दानपात्र से नहीं हो सकती।

पंडवानी अमर हो गई

लोक की मिट्टी से उठी वह आवाज़, जिसने पंडवानी को विश्व मंच तक पहुँचा दिया

तंबूरा लेकर जब वो मंच पर खड़ी होती हैं, तो ऐसा लगता है मानो महाभारत के पात्र स्वयं हमारे सामने जीवित हो उठे हों। उनकी आवाज़ में केवल कथा नहीं होती, बल्कि सदियों पुरानी भारतीय लोक परंपरा की धड़कन सुनाई देती है।तीजन बाई ने हमें यह सिखाया है कि अपनी मिट्टी से जुड़कर भी पूरी दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है। यही कारण है कि वे केवल एक कलाकार नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना की अमर स्वर-प्रतिध्वनि हैं।

नरेंद्र पाण्डेय

भारत की सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विविधता है। यहाँ हर क्षेत्र की अपनी भाषा, लोकगीत, नृत्य, संगीत और लोककथाएँ हैं। इन्हीं लोक परंपराओं ने सदियों से भारतीय समाज की आत्मा को जीवित रखा है। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही एक अमूल्य लोकधरोहर है पंडवानी, जिसने महाभारत की कथा को गीत, संगीत, अभिनय और भावाभिव्यक्ति के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया। और यदि पंडवानी का नाम लिया जाए तथा तीजन बाई का स्मरण न हो, तो यह चर्चा अधूरी रह जाएगी।

तीजन बाई केवल एक लोकगायिका नहीं हैं। वे भारतीय लोकसंस्कृति की जीवित पहचान हैं। उन्होंने उस कला को विश्वव्यापी प्रतिष्ठा दिलाई, जिसे कभी केवल गाँवों की चौपाल और मेलों तक सीमित माना जाता था। अपनी ओजस्वी आवाज़, अद्भुत अभिनय और असाधारण मंचीय उपस्थिति के कारण उन्होंने पंडवानी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। आज उनका नाम केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत की सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक है।

अभावों में जन्मी असाधारण प्रतिभा

तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को वर्तमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले के समीप स्थित गनियारी गाँव में एक साधारण परिवार में हुआ। आर्थिक रूप से संपन्न न होने के बावजूद उनका परिवार लोकसंस्कृति से गहरे जुड़ा हुआ था। बचपन से ही उन्होंने गाँव के वातावरण में लोकगीत, कथाएँ और धार्मिक आख्यान सुने। उनके नाना ब्रिजलाल पारधी स्वयं पंडवानी के अच्छे जानकार थे। उन्हीं से तीजन बाई ने महाभारत के प्रसंगों को सुनना और याद करना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि छोटी-सी उम्र में ही वे महाभारत के लंबे-लंबे प्रसंग बिना किसी पुस्तक के सुना देती थीं। उनकी स्मरण शक्ति और प्रस्तुति देखकर गाँव के लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। औपचारिक शिक्षा बहुत अधिक नहीं मिली, लेकिन लोकपरंपरा ही उनकी पाठशाला बनी। उन्होंने जीवन से सीखा, समाज से सीखा और सबसे अधिक अपनी लोकसंस्कृति से सीखा।

गाँव की चौपाल से विश्व मंच तक

तीजन बाई की प्रतिभा धीरे-धीरे देशभर में पहचानी जाने लगी। प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर सहित अनेक सांस्कृतिक हस्तियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बड़े मंच उपलब्ध कराए। इसके बाद उन्होंने भारत के लगभग सभी प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों में अपनी प्रस्तुति दी। फिर शुरु हुआ विश्व यात्रा का सिलसिला। उन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा और अनेक देशों में पंडवानी का प्रदर्शन किया। जहाँ भी वे पहुँचीं, वहाँ केवल एक कलाकार नहीं गईं, बल्कि उनके साथ छत्तीसगढ़ की मिट्टी, उसकी भाषा और उसकी संस्कृति भी पहुँची।

जब समाज ने कहा—'यह स्त्रियों का काम नहीं'

आज मंच पर महिलाओं का लोकगायन सामान्य बात लग सकती है, लेकिन उस समय परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न थीं। पंडवानी की कापालिक शैली में प्रस्तुति मुख्यत: पुरुष कलाकारों द्वारा की जाती थी। माना जाता था कि इसमें ऊर्जावान अभिनय, संवाद और युद्ध प्रसंगों का चित्रण महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन तीजन बाई ने परंपराओं को चुनौती दी। उन्होंने किसी आंदोलन का नारा नहीं दिया, बल्कि अपनी कला से यह सिद्ध किया कि प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता।

जब उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर पंडवानी प्रस्तुत करनी शुरू की, तो उन्हें सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। समाज के कुछ लोगों ने उन्हें ताने दिए, आलोचना की और यहाँ तक कि सामाजिक बहिष्कार भी झेलना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि यदि कला सच्ची है, तो एक दिन समाज स्वयं उसे स्वीकार करेगा। आज इतिहास गवाह है कि वही समाज उनकी उपलब्धियों पर गर्व करता है।

अभिनय, स्वर और अभिव्यक्ति का अद्भुत संगम

तीजन बाई की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मंचीय ऊर्जा है। वे केवल गाती नहीं हैं, बल्कि पूरी कथा को जीती हैं। जब वे द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग सुनाती हैं, तो श्रोताओं की आँखें नम हो जाती हैं। जब भीम और दुर्योधन के युद्ध का वर्णन करती हैं, तो ऐसा लगता है मानो रणभूमि सामने सजी हो। उनकी आवाज़ में लोकजीवन की सहजता है, अभिनय में रंगमंच की गहराई और संवादों में ऐसी शक्ति कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाता है। यही कारण है कि जिन देशों के लोग हिंदी या छत्तीसगढ़ी नहीं समझते, वे भी उनकी प्रस्तुति से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। कला की यही सार्वभौमिक शक्ति उन्हें विशिष्ट बनाती है।

सम्मान केवल पुरस्कारों से नहीं मिलता

भारत सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए उन्हें अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया। उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और बाद में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मविभूषण से अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। लेकिन यदि स्वयं तीजन बाई से पूछा जाए कि उनका सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, तो शायद वे यही कहेंगी कि आज दुनिया पंडवानी को पहचानती है।

तीजन बाई केवल कलाकार नहीं, एक विचार हैं

तीजन बाई का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला—प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। दूसरा—परंपरा को बचाने के लिए उसे समय के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। तीसरा—यदि संकल्प दृढ़ हो तो समाज की रूढ़ियाँ भी बदल सकती हैं। उन्होंने कभी आधुनिकता का विरोध नहीं किया, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। उनकी प्रस्तुति में आधुनिक मंच व्यवस्था दिखाई देती है, लेकिन आत्मा पूरी तरह लोक संस्कृति की होती है।

नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा

आज मोबाइल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के युग में लोककलाएँ सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। युवा पीढ़ी तेज़ी से वैश्विक संस्कृति की ओर आकर्षित हो रही है। ऐसे समय में तीजन बाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि अपनी लोक परंपरा को अपनाकर भी वैश्विक पहचान बनाई जा सकती है। वे निरंतर युवा कलाकारों को प्रशिक्षण देती रहीं हैं और पंडवानी की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही । उनकी सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी लोक विरासत को भूल न जाएँ।

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान

जब भी छत्तीसगढ़ की पहचान की बात होगी, तो वहाँ की नदियाँ, जंगल, जनजातीय संस्कृति, लोकनृत्य और लोकसंगीत के साथ तीजन बाई का नाम स्वाभाविक रूप से लिया जाएगा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि संस्कृति किसी संग्रहालय की वस्तु नहीं होती। संस्कृति तभी जीवित रहती है जब कोई कलाकार उसे अपने जीवन का उद्देश्य बना ले। तीजन बाई ने यही किया। उन्होंने पंडवानी को केवल गाया नहीं, बल्कि जिया।

जब ईश्वर स्वयं भक्तों के बीच उतर आते हैं

रथयात्रा का एक और महत्वपूर्ण संदेश सामाजिक समानता है। जब लाखों लोग मिलकर भगवान के रथ की रस्सी खींचते हैं, तब वहाँ न कोई बड़ा होता है, न छोटा। न जाति का भेद दिखाई देता है, न पद का। राजा से लेकर सामान्य नागरिक तक, सब एक ही रस्सी को पकड़कर भगवान के रथ को आगे बढ़ाते हैं। यह दृश्य भारतीय लोकतांत्रिक चेतना का भी एक सांस्कृतिक रूपक है, जहाँ समाज की प्रगति तभी संभव है जब सभी मिलकर आगे बढ़ें।

भारत को यदि उत्सवों का देश कहा जाता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि वह सांस्कृतिक दर्शन है जिसने हजारों वर्षों से समाज को एक सूत्र में बाँध रखा है। यहाँ पर्व केवल पूजा-पाठ का माध्यम नहीं होते, बल्कि समाज को जोड़ने, समानता का संदेश देने और जीवन के गहरे सत्य समझाने का अवसर भी बनते हैं। इन्हीं पर्वों में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा भारतीय संस्कृति का ऐसा अद्भुत उदाहरण है, जहाँ धर्म, दर्शन, समाज और मानवता एक साथ चलते दिखाई देते हैं।

पुरी की रथयात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। यह वह क्षण है जब करोड़ों लोगों की आस्था सड़कों पर उतर आती है। वर्षभर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जब अपने भव्य रथों पर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तब यह केवल देव यात्रा नहीं रहती, बल्कि यह संदेश बन जाती है कि ईश्वर किसी एक मंदिर, किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के हैं।

भारतीय परंपरा में शायद ही कोई ऐसा धार्मिक आयोजन हो, जहाँ स्वयं भगवान अपने भक्तों के घर आने का प्रतीक बनते हों। अधिकांश स्थानों पर भक्त मंदिर जाते हैं, लेकिन पुरी में परंपरा उलट जाती है। यहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। यही रथयात्रा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है—ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग केवल मंदिरों की सीढ़ियों से नहीं, बल्कि प्रेम, समानता और सेवा से भी होकर जाता है।

भगवान जगन्नाथ का स्वरूप भी अपने आप में अद्भुत है। बड़ी-बड़ी आँखें, अधूरे हाथ-पाँव और विशिष्ट आकृति केवल मूर्तिकला नहीं, बल्कि एक गहन दर्शन है। ऐसा माना जाता है कि भगवान का यह स्वरूप बताता है कि ईश्वर किसी एक रूप या सीमा में बंधे नहीं हैं। वे सम्पूर्ण सृष्टि के हैं, इसलिए उनका स्वरूप भी सीमाओं से परे है।

जगन्नाथ संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसका समन्वय है। यहाँ वैष्णव परंपरा है तो शैव दर्शन भी है। यहाँ शाक्त परंपरा की झलक भी दिखाई देती है और आदिवासी संस्कृति का गहरा प्रभाव भी। इतिहासकार मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की आराधना में लोकजीवन, जनजातीय परंपराओं और वैदिक संस्कृति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। शायद यही कारण है कि जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के समन्वयवादी चरित्र के प्रतीक बन गए हैं।

रथयात्रा का एक और महत्वपूर्ण संदेश सामाजिक समानता है। जब लाखों लोग मिलकर भगवान के रथ की रस्सी खींचते हैं, तब वहाँ न कोई बड़ा होता है, न छोटा। न जाति का भेद दिखाई देता है, न पद का। राजा से लेकर सामान्य नागरिक तक, सब एक ही रस्सी को पकड़कर भगवान के रथ को आगे बढ़ाते हैं। यह दृश्य भारतीय लोकतांत्रिक चेतना का भी एक सांस्कृतिक रूपक है, जहाँ समाज की प्रगति तभी संभव है जब सभी मिलकर आगे बढ़ें।

इतिहास बताता है कि कभी ओडिशा के गजपति महाराज स्वयं भगवान के रथ के आगे स्वर्ण झाड़ू से मार्ग साफ करते थे। इस परंपरा को %छेरा पहरा% कहा जाता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सत्ता और सेवा के संबंध का सबसे बड़ा संदेश है। राजा भी भगवान के सामने स्वयं को सेवक मानता है। आज के लोकतांत्रिक युग में भी यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ा पद सेवा का होता है, अधिकार का नहीं।

भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद भी सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण है। मंदिर की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोइयों में गिनी जाती है। यहाँ तैयार होने वाला महाप्रसाद किसी जाति, वर्ग या आर्थिक स्थिति के आधार पर विभाजित नहीं होता। जो भी श्रद्धालु आता है, वह उसी प्रसाद को समान भाव से ग्रहण करता है। यह भारतीय संस्कृति की उस भावना को जीवंत करता है, जहाँ भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक समानता का संस्कार भी है।

आज जब दुनिया अनेक प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्षों से जूझ रही है, तब भगवान जगन्नाथ की परंपरा हमें एक अलग ही मार्ग दिखाती है। यह परंपरा बताती है कि विविधता संघर्ष का कारण नहीं, बल्कि शक्ति का आधार हो सकती है। अनेक मत, अनेक मान्यताएँ और अनेक परंपराएँ भी एक संस्कृति के भीतर सहज रूप से साथ चल सकती हैं।

यही कारण है कि पुरी की रथयात्रा केवल ओडिशा का उत्सव नहीं रही। आज देश के लगभग हर राज्य और विदेशों तक भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली जाती है। यह भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का विस्तार है, जो सीमाओं में नहीं, बल्कि समावेश में विश्वास करती है।

आधुनिक जीवन की भागदौड़ में जब मनुष्य अकेलेपन, तनाव और सामाजिक विखंडन से जूझ रहा है, तब जगन्नाथ संस्कृति हमें फिर याद दिलाती है कि समाज केवल कानूनों से नहीं, बल्कि साझा आस्था, साझा उत्सव और साझा संवेदनाओं से मजबूत होता है। रथयात्रा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की यात्रा में कोई अकेला नहीं चलता। जैसे भगवान का रथ हजारों हाथों से आगे बढ़ता है, वैसे ही समाज भी सामूहिक सहयोग से आगे बढ़ता है।

अंततः भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा केवल धार्मिक आस्था का उत्सव नहीं है। यह भारतीय सभ्यता के उस शाश्वत विचार का उत्सव है, जहाँ समरसता है, सेवा है, समानता है और समन्वय है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर सबसे बड़े मंदिरों में नहीं, बल्कि सबसे बड़े हृदय में निवास करते हैं।

शायद यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु हर वर्ष भगवान के रथ की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। क्योंकि वे केवल भगवान के दर्शन नहीं करते, बल्कि उस संस्कृति के दर्शन करते हैं जिसने सदियों से भारत को 'अनेकता में एकता' का सबसे सुंदर उदाहरण बनाकर रखा है।

सहकारिता से बढ़ेगी किसानों की आय

सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन

162 करोड़ से अधिक की तेंदूपत्ता प्रोत्साहन राशि वितरण का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय का गठन देश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह निर्णय 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को साकार करने वाला है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से किसानों, वनवासियों, महिला समूहों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन एवं सहकारी सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर उत्कृष्ट समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किया तथा संग्रहण वर्ष 2023 के 7.14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के वितरण का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और बचपन से ही सहकारिता से मेरा गहरा रिश्ता रहा है। तभी से मुझे विश्वास था कि सहकारिता के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' का वही सपना धरातल पर साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में उन्हें राज्यमंत्री के रूप में साथ काम करने का अवसर मिला और उन्होंने किसानों के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता तथा समर्पण को बहुत करीब से देखा है। किसानों के कल्याण के प्रति इसी प्रतिबद्धता के कारण प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाते हुए उसका नाम 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' किया, ताकि किसानों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता बने। सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिली है और इसका लाभ सीधे किसानों एवं ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार केवल कृषि ही नहीं बल्कि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी सहकारिता को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। राज्य सरकार पशुपालन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पहले किसानों को खेती-किसानी के लिए 16 से 18 प्रतिशत दर पर ऋण लेना पड़ता था और भारी-भरकम ब्याज का बोझ उन्हें आर्थिक रूप से परेशान कर देता था। आज सहकारिता व्यवस्था और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के 15 लाख से अधिक किसानों को 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसानों को खेती के लिए सुलभ वित्तीय सहायता मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूरे होना देश के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर 29 जून से 06 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सहकारिता का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की कोई भी पंचायत सहकारिता से वंचित न रहे, इस दिशा में कार्य करते हुए राज्य में 1352 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से किसानों का पंजीयन पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।

क्या इस्तीफे ही पर्याप्त हैं?

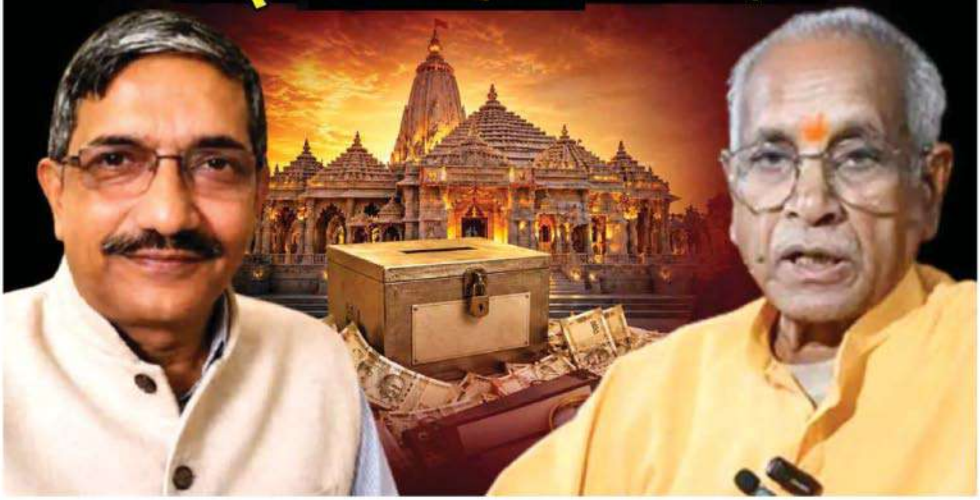

राम मंदिर प्रकरण से उठते बड़े सवाल

> "हाल ही में राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण और उसके बाद मंदिर ट्रस्ट के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफों ने अनेक गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ट्रस्ट ने अपने महासचिव और एक ट्रस्टी के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। पहली दृष्टि में यह जवाबदेही की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, लेकिन क्या केवल इस्तीफे इस पूरे विवाद का समाधान हैं? शायद नहीं।"

नरेन्द्र पाण्डेय

अयोध्या का राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है। यह करोड़ों भारतीयों की आस्था, विश्वास, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक संघर्ष का जीवंत प्रतीक है। सदियों तक चले सामाजिक, धार्मिक और न्यायिक संघर्ष के बाद साकार हुए इस मंदिर से देश के करोड़ों लोगों की भावनाएँ जुड़ी हैं। ऐसे में यदि मंदिर के प्रबंधन, चढ़ावे या प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की अनियमितता का आरोप सामने आता है, तो वह केवल एक संस्थागत विवाद नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और विमर्श का विषय बन जाता है।

हाल ही में राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण और उसके बाद मंदिर ट्रस्ट के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफों ने अनेक गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ट्रस्ट ने अपने महासचिव और एक ट्रस्टी के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। पहली दृष्टि में यह जवाबदेही की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, लेकिन क्या केवल इस्तीफे इस पूरे विवाद का समाधान हैं? शायद नहीं। क्योंकि किसी भी बड़ी संस्था में यदि अनियमितताओं की आशंका पैदा होती है, तो समस्या केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यवस्था की विश्वसनीयता भी जांच के दायरे में आ जाती है।

किसी भी संस्था में पदाधिकारी बदलना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन व्यवस्था को मजबूत बनाना कहीं अधिक कठिन कार्य है। यदि जांच में यह संकेत मिलता है कि वित्तीय निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था या प्रशासनिक नियंत्रण में कहीं कमी रही है, तो केवल पद परिवर्तन से उन कमियों की भरपाई नहीं हो सकती। आवश्यक यह है कि उन कारणों की पहचान की जाए, जिनकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई।

राम मंदिर का स्वरूप किसी सामान्य

मंदिर जैसा नहीं है। यहाँ प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। चढ़ावे के रूप में बड़ी मात्रा में नकद राशि, स्वर्ण-रजत आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएँ और अन्य दान प्राप्त होते हैं। ऐसे विशाल संसाधनों का प्रबंधन केवल पारंपरिक व्यवस्था से नहीं चल सकता। इसके लिए अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली, डिजिटल रिकॉर्ड, नियमित ऑडिट, बहुस्तरीय निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता अनिवार्य है। यदि इन व्यवस्थाओं में कहीं भी ढिलाई रही है, तो उसका प्रभाव केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वास पर भी पड़ता है।

यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि किसी भी आरोप की अंतिम पुष्टि निष्पक्ष जांच के बाद ही होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को जांच पूरी होने से पहले दोषी नहीं माना जा सकता। इसलिए इस पूरे प्रकरण में तथ्यों और जांच प्रक्रिया को सर्वोच्च महत्व मिलना चाहिए। लेकिन उतना ही आवश्यक यह भी है कि जांच केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए। श्रद्धालुओं को यह भरोसा मिलना चाहिए कि जो भी निष्कर्ष सामने आएँगे, वे पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित होंगे।

इस्तीफों के साथ ट्रस्ट ने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। यह प्रशासनिक आवश्यकता हो सकती है, लेकिन केवल नए चेहरे आने से लोगों का विश्वास स्वत: वापस नहीं आता। विश्वास तब लौटता है जब व्यवस्था यह दिखाती है कि उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना है और उन्हें दूर करने के लिए ठोस सुधार लागू किए हैं। श्रद्धालु यह जानना चाहते हैं कि क्या अब चढ़ावे की निगरानी और अधिक तकनीकी होगी? क्या ऑडिट प्रक्रिया स्वतंत्र और नियमित होगी? क्या प्रत्येक दान का डिजिटल रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा? क्या जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण होगा? इन प्रश्नों के उत्तर ही भविष्य की विश्वसनीयता तय करेंगे।

इस पूरे घटनाक्रम ने स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया है। विपक्ष ट्रस्ट और उससे जुड़े प्रशासनिक ढाँचे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि यदि कुछ व्यक्तियों से चूक हुई भी है, तो उसके आधार पर पूरी संस्था की निष्ठा और उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लगाना उचित नहीं होगा। दोनों पक्ष अपनी-अपनी राजनीतिक व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन इस बहस से परे सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उन करोड़ों श्रद्धालुओं का है, जिनके लिए राम मंदिर राजनीति का नहीं, श्रद्धा का विषय है।

आस्था की सबसे बड़ी पूँजी विश्वास होती है। जब कोई श्रद्धालु मंदिर में दान देता है, तो वह केवल धन नहीं देता, बल्कि अपनी श्रद्धा भी उस व्यवस्था के हाथों सौंपता है। यदि उस विश्वास पर किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न होती है, तो उसका समाधान केवल प्रशासनिक आदेशों या इस्तीफों से नहीं हो सकता। इसके लिए संस्था को अपनी कार्यप्रणाली को पहले से अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा।

भारत में अनेक बड़े धार्मिक संस्थानों ने समय के साथ आधुनिक प्रबंधन प्रणाली अपनाई है। डिजिटल लेखा-जोखा, सीसीटीवी आधारित निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंटरी प्रबंधन, स्वतंत्र ऑडिट और सार्वजनिक वार्षिक रिपोर्ट जैसी व्यवस्थाएँ अब आवश्यकता बन चुकी हैं। राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में तो इन मानकों का और भी अधिक कठोरता से पालन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ केवल प्रशासनिक दक्षता ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाएँ भी जुड़ी हुई हैं।

यह भी ध्यान रखने योग्य है कि किसी संस्था की प्रतिष्ठा उसकी आलोचना से नहीं, बल्कि आलोचना का सामना करने की क्षमता से मजबूत होती है। यदि किसी स्तर पर कमी सामने आती है और संस्था उसे स्वीकार करते हुए पारदर्शी सुधार लागू करती है, तो जनता का विश्वास और मजबूत होता है। इसके विपरीत यदि केवल औपचारिक कार्रवाई कर मामले को समाप्त मान लिया जाए, तो शंकाएँ लंबे समय तक बनी रह सकती हैं।

राम मंदिर का निर्माण भारत के सामाजिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इस मंदिर ने केवल एक धार्मिक आकांक्षा को ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के सांस्कृतिक आत्मविश्वास को भी नई अभिव्यक्ति दी है। इसलिए इसकी गरिमा और विश्वसनीयता को बनाए रखना केवल ट्रस्ट की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है।

आज आवश्यकता किसी निष्कर्ष पर जल्दबाजी में पहुँचने की नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई सामने लाने की है। यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। यदि व्यवस्था में कमियाँ हैं तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए। और यदि आरोप निराधार सिद्ध होते हैं, तो यह तथ्य भी उतनी ही स्पष्टता से जनता के सामने रखा जाना चाहिए। पारदर्शिता ही विश्वास का सबसे मजबूत आधार होती है।

अंतत: प्रश्न केवल दो इस्तीफों का नहीं है। प्रश्न उस व्यवस्था का है, जिस पर करोड़ों लोगों की आस्था टिकी है। समाधान तब माना जाएगा जब जांच पूरी निष्पक्षता से संपन्न हो, जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय हो, आधुनिक प्रबंधन प्रणाली लागू की जाए और श्रद्धालुओं का विश्वास पहले से अधिक मजबूत होकर लौटे। क्योंकि राम मंदिर केवल पत्थरों से निर्मित एक भव्य परिसर नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। उसकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता हर परिस्थिति में सर्वोपरि रहनी चाहिए।

जब अपने ही उठाने लगें सवाल, तब संगठन को आत्ममंथन करना चाहिए

यह विरोध केवल कुछ व्यक्तियों को पद न मिलने की प्रतिक्रिया मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह उस भावना का भी संकेत है जो वर्षों तक संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मन में पैदा होती है। चुनाव के समय वही कार्यकर्ता घर-घर जाकर पार्टी का संदेश पहुंचाता है, बूथ संभालता है, कठिन परिस्थितियों में संगठन का झंडा उठाए रखता है। स्वाभाविक है कि सत्ता मिलने के बाद उसे भी सम्मान और अवसर की अपेक्षा होती है।

छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद निगम, मंडल, आयोग और विभिन्न बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियों की पहली सूची जारी हो गई। इसके साथ ही नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में एल्डरमेन नियुक्तियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। पहली नजर में यह केवल रिक्त पदों को भरने की प्रशासनिक प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन राजनीति में शायद ही कोई नियुक्ति केवल नियुक्ति होती है। हर सूची अपने साथ एक संदेश, एक रणनीति और एक राजनीतिक संकेत लेकर आती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार की इन नियुक्तियों को भी इसी दृष्टि से देखा जा रहा है। सरकार बनने के बाद से संगठन के भीतर लगातार यह चर्चा थी कि वर्षों तक पार्टी के लिए काम करने वाले अनेक कार्यकर्ताओं को अब तक कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं मिली। लोकसभा चुनाव के बाद यह अपेक्षा और बढ़ गई थी कि संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित स्थान मिलेगा। ऐसे में पहली सूची जारी कर सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि संगठन की मेहनत को भुलाया नहीं जाएगा।

यदि सूची का गहराई से अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि सरकार ने केवल पदों का वितरण नहीं किया, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक संतुलन और राजनीतिक संदेश—तीनों को साधने की कोशिश की है। महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर यह संकेत देने का प्रयास किया गया है कि सरकार केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन की राजनीति को भी महत्व दे रही है।

लेकिन राजनीति में हर निर्णय का दूसरा पक्ष भी होता है। जिन नियुक्तियों से कई कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान आई, उन्हीं नियुक्तियों ने कुछ स्थानों पर असंतोष भी पैदा कर दिया। विशेषकर एल्डरमेन नियुक्तियों को लेकर जिस तरह कई नगर निकायों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही विरोध दर्ज कराया, उसने संगठन के भीतर

संवाद की स्थिति पर प्रश्नचिह्न लगा दिया।

यह विरोध केवल कुछ व्यक्तियों को पद न मिलने की प्रतिक्रिया मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह उस भावना का भी संकेत है जो वर्षों तक संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मन में पैदा होती है। चुनाव के समय वही कार्यकर्ता घर-घर जाकर पार्टी का संदेश पहुंचाता है, बूथ संभालता है, कठिन परिस्थितियों में संगठन का झंडा उठाए रखता है। स्वाभाविक है कि सत्ता मिलने के बाद उसे भी सम्मान और अवसर की अपेक्षा होती है।

यह कहना भी उचित नहीं होगा कि हर विरोध सही है या हर नियुक्ति गलत। किसी भी राजनीतिक दल को नियुक्तियों में केवल संगठन नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, अनुभव, महिला प्रतिनिधित्व और भविष्य की राजनीतिक रणनीति जैसे अनेक पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। इसलिए सभी को एक साथ संतुष्ट कर पाना संभव नहीं होता।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रक्रिया का है। यदि नियुक्तियों से पहले स्थानीय संगठन से व्यापक संवाद होता, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की राय ली जाती और चयन के मानदंड अधिक स्पष्ट होते, तो शायद असंतोष इतना मुखर रूप नहीं लेता। लोकतंत्र में निर्णय जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने का तरीका भी होता है।

भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वयं को कार्यकर्ता आधारित संगठन बताती रही है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी मानी जाती है। ऐसे में यदि कार्यकर्ता स्वयं को निर्णय प्रक्रिया से दूर महसूस करने लगें, तो यह किसी भी संगठन के लिए गंभीर संकेत है। मतभेद होना लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब वही मतभेद सार्वजनिक विरोध में बदलने लगें, तो यह संकेत देता है कि संगठन के भीतर संवाद की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है।

इन नियुक्तियों का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भी है, जिस पर अपेक्षाकृत कम चर्चा हो रही है। यह सूची केवल वर्तमान प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं आई है। इसे वर्ष 2028 के

एमसीबी जिले में एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर नाराजगी, कार्यक्रम के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए जिलाध्यक्ष के खिलाफ नारे।

विधानसभा चुनाव की प्रारंभिक राजनीतिक तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीति में चुनाव की तैयारी मतदान से कुछ महीने पहले नहीं, बल्कि कई वर्ष पहले शुरू हो जाती है। निगम, मंडल, आयोग और बोर्डों में नियुक्त व्यक्ति सरकार और जनता के बीच संवाद का माध्यम बनते हैं। यदि वे सक्रिय रहते हैं तो सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं और यदि वे निष्क्रिय रहते हैं तो पूरा उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

यहीं से इन नियुक्तियों की सबसे बड़ी कसौटी शुरू होती है—जवाबदेही।

किसी भी पद पर नियुक्त होना सम्मान का विषय है, लेकिन उससे कहीं अधिक जिम्मेदारी का विषय है। यदि नव नियुक्त पदाधिकारी अपने संस्थानों को सक्रिय नहीं बना सके, जनता की समस्याओं के समाधान में भूमिका नहीं निभा सके और केवल राजनीतिक पहचान तक सीमित रह गए, तो ये नियुक्तियां भी अन्य औपचारिक नियुक्तियों की तरह इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएंगी।

जनता किसी सरकार का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं करती कि किसे कौन-सा पद मिला। जनता यह देखती है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने उस जिम्मेदारी के साथ कितना न्याय किया। इसलिए इन नियुक्तियों की सफलता राजनीतिक समीकरणों से नहीं, बल्कि आने वाले समय में उनके कार्यों से तय होगी।

विपक्ष इन नियुक्तियों को राजनीतिक संतुलन साधने की कवायद बता रहा है, जबकि भाजपा इसे संगठन और समाज दोनों को साथ लेकर चलने की रणनीति के रूप में प्रस्तुत कर रही है। दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता करती है और जनता केवल घोषणाएं नहीं, परिणाम भी देखती है।

यह पूरा घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि आज राजनीति केवल चुनाव जीतने की कला नहीं रह गई है। अब सत्ता, संगठन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और जवाबदेही—इन चारों के बीच संतुलन बनाना ही सफल शासन की पहचान है।

अंतत: यह नियुक्तियां केवल रिक्त पद भरने की प्रक्रिया नहीं हैं। यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की राजनीतिक सोच, संगठनात्मक प्राथमिकताओं और भविष्य की रणनीति का महत्वपूर्ण संकेत हैं। लेकिन इनकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या ये नियुक्तियां जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाती हैं और क्या संगठन के उन कार्यकर्ताओं का विश्वास भी बनाए रख पाती हैं, जिन्होंने वर्षों तक बिना किसी पद की अपेक्षा के पार्टी को मजबूत किया।

क्योंकि राजनीति में पद मिलना उपलब्धि हो सकता है, लेकिन पद का न्याय करना ही नेतृत्व की असली पहचान है। सत्ता का विस्तार नियुक्तियों से होता है, लेकिन संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं के विश्वास से और जनविश्वास केवल काम से अर्जित होता है।

विकास की पहली बारिश में बह जाता भरोसा

"मॉनसून कोई आपदा नहीं, बल्कि प्रकृति का नियमित चक्र है। यदि हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर इसे नहीं झेल पाता, तो दोष बारिश का नहीं बल्कि हमारी योजना, निर्माण और रखरखाव का है। विकास तभी सार्थक है जब वह टिकाऊ, सुरक्षित और भविष्य की चुनौतियों के अनुकूल हो।"

मॉनसून के आगमन के साथ ही देश भर में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियां एक बार फिर उजागर हो गई हैं। केरल के वायनाड में सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन का वायरल वीडियो, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर जलभराव और भूस्खलन, सूरत, इंदौर, कानपुर और गुरुग्राम में हल्की बारिश के बाद चरमराई व्यवस्था की खबरें यह बताती हैं कि विकास की हमारी चमकदार तस्वीर कितनी खोखली है। लेकिन इस राष्ट्रीय तस्वीर में छत्तीसगढ़ और उसकी राजधानी रायपुर भी कोई अपवाद नहीं हैं।

यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब हर वर्ष मॉनसून निश्चित समय पर आता है, तो हमारी तैयारियां हर बार अधूरी क्यों रहती हैं? यदि मौसम की यह चुनौती नई नहीं है, तो हमारी योजनाएं हर बार असफल क्यों साबित होती हैं?

वायनाड का हालिया भूस्खलन बताता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता की अनदेखी कितनी महंगी पड़ सकती है। वहीं मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक पहले ही मॉनसून में प्रभावित होना इस बात का प्रमाण है कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट भी मौसम की पहली परीक्षा में फेल हो सकते हैं। लेकिन इन घटनाओं को केवल दूसरे राज्यों की समस्या समझना भूल होगी। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के शहरों में भी हर साल बारिश यह साबित कर देती है कि हमारी निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव की व्यवस्था गंभीर सवालों के घेरे में है।

मुंबई हर साल बारिश में डूब जाती है। नदियों, नालों और समुद्र तटों पर अतिक्रमण, जाम ड्रेनेज और अनियोजित शहरीकरण इसकी बड़ी वजह हैं। रायपुर में भी यही

रायपुर में हर मॉनसून के साथ वही दृश्य दोहराया जाता है। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही सड़कें तालाब बन जाती हैं, प्रमुख चौराहों पर घंटों जाम लगता है, कॉलोनियों में पानी भर जाता है और लोग घरों से निकलने में असहाय हो जाते हैं। करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई सड़कें कुछ ही महीनों में उखड़ने लगती हैं, नए बने फ्लाईओवर और अंडरपास के आसपास जलभराव आम बात हो जाती है। स्मार्ट सिटी बनने का दावा करने वाला रायपुर आज भी एक सामान्य बारिश का सामना करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता।

स्थिति केवल रायपुर तक सीमित नहीं है। दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव और अंबिकापुर जैसे शहरों में भी हर वर्ष जलभराव, जाम और खराब सड़कों की शिकायतें सामने आती हैं। कई स्थानों पर नालों पर अतिक्रमण, जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था और अनियोजित शहरी विस्तार ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। गांवों में पुल-पुलियों के ऊपर से पानी बहने लगता है और कई क्षेत्रों का संपर्क घंटों या दिनों तक टूट जाता है।

तस्वीर छोटे पैमाने पर दिखाई देती है। प्राकृतिक नालों को पाटकर कॉलोनियां बसाई गईं, वर्षा जल निकासी के पुराने मार्ग समाप्त कर दिए गए और जहां नालियां बनीं, वहां उनकी नियमित सफाई नहीं हो पाती। परिणाम यह होता है कि थोड़ी सी बारिश भी शहर की रफ्तार रोक देती है।

प्रकृति को दोष देकर हम कब तक बचेंगे? जापान इसका जीवंत उदाहरण है। वहां भूकंप रोजमर्रा की घटना हैं, फिर भी सात रिक्टर स्केल तक के झटके सामान्य जीवन को शायद ही प्रभावित करते हैं। कारण है—वैज्ञानिक योजना, सख्त निर्माण मानक, नियमित रखरखाव और जवाबदेही। भारत और छत्तीसगढ़ के पास आज संसाधनों की कमी नहीं है। नगर निगमों और राज्य सरकारों के बजट पहले की तुलना में कहीं अधिक बड़े हैं। कमी है तो केवल दूरदृष्टि, गुणवत्ता और जवाबदेही की।

निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री, ठेकेदारों की लापरवाही, समय पर रखरखाव का अभाव और राजनीतिक हस्तक्षेप आज भी सबसे बड़ी समस्या हैं। कई परियोजनाएं उद्घाटन तक तो चमकती हैं, लेकिन पहला मॉनसून आते ही उनकी वास्तविक गुणवत्ता सामने आ जाती है। दोष तय नहीं होता, जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती और अगले वर्ष फिर वही कहानी दोहराई जाती है।

इन विफलताओं की कीमत आम नागरिक चुकाता है। सड़कें टूटती हैं, वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं, व्यापार प्रभावित होता है, बीमारियां फैलती हैं और सरकारी धन का बड़ा हिस्सा हर साल उन्हीं सड़कों और नालियों की मरम्मत में खर्च हो जाता है। यह विकास नहीं, बल्कि संसाधनों की निरंतर बर्बादी है।

मॉनसून कोई आपदा नहीं, बल्कि प्रकृति का नियमित चक्र है। यदि हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर इसे नहीं झेल पाता, तो दोष बारिश का नहीं बल्कि हमारी योजना, निर्माण और रखरखाव का है। विकास तभी सार्थक है जब वह टिकाऊ, सुरक्षित और भविष्य की चुनौतियों के अनुकूल हो।

वायनाड, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और देश के अन्य शहरों की घटनाएं केवल चेतावनी नहीं हैं; रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भी यह एक आईना हैं। यदि अभी भी हमने जल निकासी, निर्माण गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण और जवाबदेही पर गंभीरता से काम नहीं किया, तो अगले मॉनसून में फिर वही सड़कें डूबेंगी, वही गड्ढे बनेंगे, वही जाम लगेंगे और हम फिर प्रकृति को दोष देते रह जाएंगे।

माँ नर्मदा के तट पर कुछ दिन... और स्वयं से एक मुलाक़ात

— नरेंद्र पाण्डेय

कुछ यात्राएँ केवल दूरी तय नहीं करतीं, वे मन की परतें खोलती हैं। वे हमें किसी नए शहर से अधिक अपने भीतर के उस व्यक्ति से मिलवाती हैं, जिससे मिलने का समय हमने वर्षों से नहीं निकाला होता। मध्यप्रदेश की यह यात्रा भी मेरे लिए वैसी ही रही।

मंडलेश्वर पहुँचने का उद्देश्य पर्यटन नहीं था। मैं माँ नर्मदा की शरण में, संतों के सान्निध्य में कुछ दिन बिताना चाहता था। उन लोगों के बीच, जिन्होंने जीवन को भोग से नहीं, योग से समझा है; जिन्होंने संग्रह नहीं, समर्पण को जीवन बनाया है।

मंडलेश्वर में नर्मदा कुटी के समीप स्थित पंच दशनाम जूना अखाड़ा के पूज्य महंत श्री श्री 1008 वेदानंद सरस्वती जी महाराज का आश्रम है। कुछ दिनों तक वहीं रहने का सौभाग्य मिला। आश्रम का जीवन घड़ी की सुइयों से नहीं, साधना की लय से चलता है। ब्रह्ममुहूर्त में जागना, माँ नर्मदा के दर्शन, स्नान, पूजा, संतों के साथ चर्चा और दिनभर का सहज, अनुशासित जीवन—यह सब धीरे-धीरे मन की गति बदलने लगता है।

प्रात:काल माँ नर्मदा में स्नान मेरे लिए केवल एक धार्मिक कर्म नहीं था, बल्कि आत्मशुद्धि का अनुभव था। भारतीय संस्कृति ने नदियों को केवल जलधारा नहीं माना, उन्हें माँ का स्थान दिया। नर्मदा के तट पर बैठकर यह विश्वास सहज ही जन्म लेता है कि प्रकृति केवल दिखाई नहीं देती, वह संवाद भी करती है।

शाम को जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ता, पक्षियों का कलरव वातावरण में गूँजता और नर्मदा की धारा अपनी अनंत गति से बहती रहती, तब लगता था कि जीवन का सबसे बड़ा उपदेश किसी पुस्तक में नहीं, इसी नदी के प्रवाह में छिपा है। नर्मदा बिना किसी शोर के बहती हैं, बिना किसी अपेक्षा के देती हैं और बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ती रहती हैं। शायद जीवन का धर्म भी यही है।

इन दिनों अनेक नागा साधुओं के साथ बैठने और संवाद करने का अवसर मिला। समाज अक्सर उनके बाहरी स्वरूप को देखकर ठहर जाता है, लेकिन जब उनके पास बैठते हैं, तब समझ में आता है कि त्याग केवल वस्त्रों का नहीं होता, त्याग अहंकार का होता है। धूनी के पास बैठकर होने वाली चर्चाओं में शास्त्र भी थे, अनुभव भी और जीवन का गहरा दर्शन भी। वहाँ ज्ञान पुस्तकों से नहीं, जीवन से निकलता हुआ दिखाई देता है।

गुरुदेव वेदानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में हमारी यात्रा आगे बढ़ी। अगला पड़ाव था विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच स्थित ऐतिहासिक जाम गेट। इतिहास, प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम। यहाँ पूज्य महंत श्री नारायण भारती जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य मिला। उनके सान्निध्य में बैठकर अनुभव हुआ कि सच्चे संत अपने शब्दों से कम, अपने व्यक्तित्व से अधिक शिक्षा देते हैं। उनकी सहजता और आत्मीयता ने यह एहसास कराया कि

“

इन दिनों अनेक नागा साधुओं के साथ बैठने और संवाद करने का अवसर मिला। समाज अक्सर उनके बाहरी स्वरूप को देखकर ठहर जाता है, लेकिन जब उनके पास बैठते हैं, तब समझ में आता है कि त्याग केवल वस्त्रों का नहीं होता, त्याग अहंकार का होता है। धूनी के पास बैठकर होने वाली चर्चाओं में शास्त्र भी थे, अनुभव भी और जीवन का गहरा दर्शन भी।

आध्यात्मिक ऊँचाई का पहला परिचय विनम्रता होती है।

जाम गेट की ऊँचाइयों से दूर तक फैली प्रकृति को निहारते हुए लगा कि पर्वत स्थिर रहकर भी बहुत कुछ सिखाते हैं। वे बताते हैं कि ऊँचा वही उठता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। शायद यही कारण है कि भारत की साधना परंपरा ने पर्वतों और नदियों को सदैव अपने तप का साथी बनाया।

इसके बाद हमारी यात्रा पहुँची मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध माँ बगलामुखी धाम, नलखेड़ा। शक्ति की उपासना का यह सिद्धपीठ केवल मंदिर नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। माँ बगलामुखी के दर्शन करते समय मन में केवल एक ही भाव था—शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हो।

यहीं निर्माणी अखाड़ा के पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 संदीपेन्द्री महाराज से भेंट हुई। उनके सान्निध्य में कुछ समय बिताने का अवसर मिला। उनकी वाणी में गंभीरता थी, लेकिन व्यवहार में अद्भुत सरलता। उन्होंने जिस सहजता से धर्म, साधना और सेवा की बात कही, उससे यह अनुभव हुआ कि आध्यात्मिकता का वास्तविक स्वरूप जटिल नहीं, अत्यंत सरल है। जितना मन निर्मल होगा, उतना ही ईश्वर निकट अनुभव होगा।

इस पूरी यात्रा ने मुझे एक बात बार-बार समझाई कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति केवल उसके मंदिरों में नहीं, बल्कि उसकी गुरु परंपरा में जीवित है। संत केवल पूजा-पाठ कराने वाले व्यक्ति नहीं हैं; वे समाज की चेतना के वाहक हैं। वे हमें स्वयं से मिलना सिखाते हैं।

जब मैं लौट रहा था, तब मेरे साथ कोई स्मारिका नहीं थी, कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं थी। यदि कुछ था तो माँ नर्मदा की धारा का संगीत, संतों का स्नेह, गुरुओं का आशीर्वाद, नागा साधुओं की तपस्या, जाम गेट की नीरवता और माँ बगलामुखी के चरणों में बिताए वे कुछ शांत क्षण।

आज भी जब आँखें बंद करता हूँ, सबसे पहले वही दृश्य सामने आता है—नर्मदा का शांत प्रवाह, लौटते हुए पक्षियों का कलरव और अस्त होते सूर्य की लालिमा।

तब लगता है कि तीर्थ वह स्थान नहीं जहाँ हम केवल दर्शन करने जाते हैं।

तीर्थ वह है, जहाँ से लौटकर हमारा मन पहले जैसा नहीं रहता।

नर्मदे हर।

सेवा सेतु से सुशासन की राह हो रही आसान

आज के समय में अच्छी शासन व्यवस्था का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि उन योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी परेशानी के आम नागरिक तक पहुँचाना भी है। जब सरकारी सेवाएँ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध होती हैं, तभी सुशासन की भावना साकार होती है। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग ने शासन व्यवस्था को नई दिशा दी है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने 'सेवा सेतु - जनता के द्वार-डिजिटल सरकार' पहल के माध्यम से नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सेवा सेतु एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों की शासकीय सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के 36 विभागों द्वारा संचालित 520 से अधिक शासकीय सेवाएं इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। नागरिक अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से इन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे अपने निकट के लोक सेवा केंद्र अथवा चॉइस सेंटर के माध्यम से भी इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता काफी कम हो गई है।

सेवा सेतु का सबसे बड़ा उद्देश्य नागरिकों को 'घर बैठे सरकारी सेवाएँ' उपलब्ध कराना है। पहले आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, भू-अभिलेख, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सेवाओं तथा अन्य शासकीय कार्यों के लिए अलग-अलग विभागों में जाना पड़ता था। इससे समय और धन दोनों खर्च होते थे। अब अधिकांश सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है। इससे पूरी प्रक्रिया

अब 520 शासकीय सेवाएं घर बैठे एक क्लिक पर

जनता के द्वार- डिजिटल सरकार

सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध श्रेणीवार 520 प्रमुख सेवाओं में शामिल

» व्यवसाय, उद्योग एवं वाणिज्यिक सेवाएं -	106
» लाइसेंस, परमिट एवं विनियामक सेवाएं -	85
» सामाजिक कल्याण, पेंशन एवं वित्तीय सहायता सेवाएं -	65
» शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं शैक्षणिक सेवाएं-	58
» भूमि, संपत्ति एवं राजस्व सेवाएं-	37
» व्यक्तिगत पहचान एवं प्रमाण पत्र सेवाएं-	35
» शासकीय अनुमोदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति सेवाएं	31
» जन शिकायत, सुरक्षा एवं विधिक सेवाएं-	25
» रोजगार, कौशल एवं श्रम सेवाएं-	19
» केंद्र सरकार की सेवा-	19
» भुगतान, कर एवं वित्तीय लेनदेन सेवाएं-	18
» कृषि, ग्रामीण एवं आजीविका सेवाएं-	15
» स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं-	7

शासकीय प्रमुख सेवाएं-

- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड संबंधी सेवाएं
- पेंशन योजनाएं
- नाम परिवर्तन सेवा
- व्यापार लाइसेंस
- विभिन्न विभागों की अन्य नागरिक सेवाएं

नागरिकों को घर बैठे सेवाएँ उपलब्ध कराना, अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं को कम कर समय की बचत करना, सेवाओं को सरल और सुलभ बनाना, ये सभी सुशासन के महत्वपूर्ण घटक हैं, सेवा सेतु इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सरल और पारदर्शी बन गई है।

सेवा सेतु के माध्यम से राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, खाद्य, परिवहन, उद्योग, वन, ऊर्जा, समाज कल्याण सहित 36 विभागों की अनेक सेवाएँ एकीकृत रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। अलग-अलग विभागों के लिए अलग पोर्टल खोजने की आवश्यकता नहीं होती। एक ही मंच पर सेवाओं का उपलब्ध होना नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा है तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय भी सुनिश्चित करता है।

इस डिजिटल व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता पारदर्शिता है। आवेदन जमा होने के बाद उसकी प्रत्येक प्रक्रिया डिजिटल रूप से दर्ज होती है। नागरिक यह जान सकते हैं कि उनका आवेदन किस स्तर पर लंबित है, किस अधिकारी के पास है और सेवा कब तक उपलब्ध होगी। इससे अनावश्यक देरी और बिचौलियों की भूमिका कम होती है। अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ती है, क्योंकि प्रत्येक आवेदन की समय-सीमा निर्धारित होती है। समयबद्ध सेवा वितरण सुशासन की महत्वपूर्ण पहचान है और सेवा सेतु इस दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रहा है।

सेवा सेतु ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए भी सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया है। छत्तीसगढ़ के अनेक गांव ऐसे हैं जहाँ लोगों को पहले छोटी-सी शासकीय सेवा के लिए जिला या तहसील मुख्यालय तक जाना पड़ता था। यात्रा में समय और धन दोनों खर्च होते थे। अब ऑनलाइन व्यवस्था और लोक सेवा केंद्रों की सहायता से अधिकांश कार्य स्थानीय स्तर पर ही पूरे हो रहे हैं। इससे ग्रामीण नागरिकों को विशेष सुविधा मिली है और शासन की पहुँच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हुई है।

डिजिटल सेवाओं के कारण प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आई है। कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम हुई है, जिससे रिकॉर्ड का रखरखाव आसान हुआ है। ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, डिजिटल सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कारण कार्यों की गति बढ़ी है। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता में सुधार हुआ है, बल्कि कागज के उपयोग में कमी आने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है।

सेवा सेतु का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह डिजिटल इंडिया अभियान की भावना को मजबूत करता है। केंद्र और राज्य सरकार शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग पर बल दे रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल उसी दिशा में एक प्रभावी प्रयास है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ है। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आया है और नागरिकों का शासन व्यवस्था पर विश्वास भी बढ़ा है।

डिजिटल शासन की सफलता के लिए तकनीक के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता भी आवश्यक है। राज्य सरकार नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग के लिए जागरूक करने, लोक सेवा केंद्रों को सशक्त बनाने तथा इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इससे अधिक से अधिक लोग डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा।

आज सेवा सेतु केवल एक पोर्टल नहीं, बल्कि नागरिक-केंद्रित प्रशासन का प्रभावी माध्यम बन चुका है। यह पहल बताती है कि तकनीक का उपयोग केवल सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

नागरिकों को घर बैठे सेवाएँ उपलब्ध कराना, अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं को कम कर समय की बचत करना, सेवाओं को सरल और सुलभ बनाना, ये सभी सुशासन के महत्वपूर्ण घटक हैं, सेवा सेतु इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सेवा सेतु छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 36 विभागों की 520 से अधिक शासकीय सेवाओं को एक डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराकर सरकार ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल बनाया है। यह व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही, समयबद्ध सेवा, डिजिटल सुविधा और जन संतुष्टि को मजबूत करती है। आने वाले समय में जैसे-जैसे अधिक सेवाएँ इस प्लेटफार्म से जुड़ेंगी और डिजिटल जागरूकता बढ़ेगी, सेवा सेतु सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वास्तव में, यह पहल 'डिजिटल सरकार, जनता के द्वार' की अवधारणा को साकार करते हुए विकसित और सुशासित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक मजबूत कदम है।

जब एक बुलडोज़र कार्रवाई पूरे समाज के लिए सवाल बन जाए

> “क्या केवल आश्वासन और बाद में दिया गया पुनर्वास उस पीड़ा की भरपाई कर सकता है, जो किसी परिवार को अपनी आँखों के सामने वर्षों की मेहनत से बने घर को मलबे में बदलते हुए देखने पर होती है?”

नरेन्द्र पाण्डेय

कानून का राज किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन कानून की असली परीक्षा तब होती है, जब उसके सामने इंसानी परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुई एक बुलडोज़र कार्रवाई ने यही सवाल पूरे समाज के सामने ला खड़ा किया है कि क्या प्रशासनिक निर्णय केवल नियमों की किताब से तय होंगे, या उनमें मानवीय संवेदना की भी कोई भूमिका होगी?

छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुई एक प्रशासनिक कार्रवाई ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि कानून का पालन करते समय संवेदनशीलता की सीमा कहाँ तक होनी चाहिए। सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ों और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई किसी भी सरकार का अधिकार ही नहीं, बल्कि उसका संवैधानिक दायित्व भी है। यदि सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया जाएगा तो कानून का शासन केवल कागज़ों तक सीमित रह जाएगा। लेकिन जब ऐसी कार्रवाई का असर उन लोगों पर पड़ता है, जो स्वयं किसी संगठित अपराध का हिस्सा नहीं बल्कि परिस्थितियों के शिकार हैं, तब कानून और करुणा के बीच संतुलन की आवश्यकता सबसे अधिक महसूस होती है।

नकटी में हुई कार्रवाई ने इसी बहस को जन्म दिया है। बताया गया कि एक अधिकारी ने एक गंभीर रूप से बीमार महिला और उसके परिवार की स्थिति को देखते हुए कुछ समय के लिए कार्रवाई रोकने का प्रयास किया। बाद में उसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हुई। इसके बाद बहस केवल बुलडोज़र तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल उठने लगे। क्या किसी अधिकारी के पास मानवीय विवेक का उपयोग करने की गुंजाइश होनी चाहिए, या फिर हर आदेश का अक्षरशः पालन ही प्रशासनिक दक्षता का एकमात्र पैमाना है?

सरकार का पक्ष स्पष्ट है। उसका कहना है कि कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों और कानून के अनुसार हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं प्रभावित परिवारों से मिले और भरोसा दिलाया कि 'किसी गरीब को बेघर नहीं होने देंगे।' उन्होंने पुनर्वास की घोषणा भी की। यह सकारात्मक पहल है और लोकतांत्रिक शासन से यही अपेक्षा भी की जाती है कि कानून लागू करते समय गरीब की सुरक्षा और सम्मान का भी ध्यान रखा जाए।

लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या केवल आश्वासन और बाद में दिया गया पुनर्वास उस पीड़ा की भरपाई कर सकता है, जो किसी परिवार को अपनी आँखों के सामने वर्षों की मेहनत से बने घर को मलबे में बदलते हुए देखने पर होती है?

घर केवल ईंट, सीमेंट और छत का नाम नहीं होता। उसमें जीवन भर की कमाई, बच्चों का बचपन, बुजुर्गों की स्मृतियाँ और

भविष्य के सपने बसे होते हैं। इसलिए जब किसी गरीब का घर टूटता है तो केवल एक मकान नहीं गिरता, बल्कि उसका सामाजिक और मानसिक संसार भी बिखर जाता है। यही कारण है कि ऐसी कार्रवाइयों में कानून के साथ मानवीय दृष्टिकोण भी उतना ही आवश्यक हो जाता है।

यह स्वीकार करना होगा कि जिन लोगों के मकान टूटे, उनमें हर व्यक्ति भू-माफिया नहीं था। अनेक परिवार वर्षों से वहीं रह रहे थे। उन्होंने बिजली के कनेक्शन लिए, राशन कार्ड बने, मतदाता सूची में नाम जुड़े, पानी की सुविधा मिली। स्वाभाविक है कि उनके मन में यह विश्वास पैदा हुआ होगा कि उनका निवास स्वीकार्य है। फिर अचानक बुलडोज़र पहुँच जाता है और पूरा जीवन मलबे में बदल जाता है। यह स्थिति केवल नागरिकों की नहीं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की विफलता की भी कहानी कहती है।

सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि यह भूमि वर्षों पहले से सरकारी रिकॉर्ड में थी, तो अवैध निर्माण इतने वर्षों तक कैसे होता रहा? स्थानीय प्रशासन कहाँ था? क्या समय रहते कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? यदि शुरुआत में ही निर्माण रोक दिया जाता तो आज किसी गरीब परिवार को बेघर होने की नौबत शायद नहीं आती।

यहीं प्रशासनिक जवाबदेही की शुरुआत होती है।

हर बार कार्रवाई के बाद केवल नागरिकों की गलती गिनाई जाती है, लेकिन उन अधिकारियों की जिम्मेदारी शायद ही तय होती है जिनकी निगरानी में वर्षों तक अतिक्रमण बढ़ता रहा। यदि प्रशासन समय पर अपनी भूमिका निभाता तो न तो इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होता और न ही बुलडोज़र जैसी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती।

जिन लोगों के मकान टूटे, उनमें हर व्यक्ति भू-माफिया नहीं था। अनेक परिवार वर्षों से वहीं रह रहे थे। उन्होंने बिजली के कनेक्शन लिए, राशन कार्ड बने, मतदाता सूची में नाम जुड़े, पानी की सुविधा मिली। स्वाभाविक है कि उनके मन में यह विश्वास पैदा हुआ होगा कि उनका निवास स्वीकार्य है।

इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और किसी प्रकार की छूट गलत संदेश देगी। विपक्ष का कहना है कि बरसात के मौसम में गरीबों के घर तोड़ना अमानवीय है। दोनों पक्षों के तर्क अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। लेकिन लोकतंत्र केवल आरोप-प्रत्यारोप से नहीं चलता। लोकतंत्र का उद्देश्य कानून और मानवीय गरिमा—दोनों की रक्षा करना है।

कानून की कठोरता आवश्यक है, लेकिन कानून की आत्मा न्याय है। और न्याय तब पूर्ण होता है जब उसमें निष्पक्षता के साथ संवेदनशीलता भी शामिल हो। किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग, महिला या छोटे बच्चों वाले परिवार के मामले में यदि कुछ दिनों का समय देकर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, तो इससे कानून कमजोर नहीं होता। बल्कि व्यवस्था के प्रति समाज का विश्वास और मजबूत होता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपनी पुनर्वास योजना को केवल घोषणा तक सीमित न रखे। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित आवास, मूलभूत सुविधाएँ, बच्चों की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक पुनर्वास की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही भविष्य के लिए ऐसी स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए कि किसी भी सरकारी भूमि पर प्रारंभिक स्तर पर ही अतिक्रमण रोका जाए। वर्षों तक मौन रहकर बाद में बुलडोज़र चलाना सुशासन का आदर्श मॉडल नहीं कहा जा सकता।

यह भी आवश्यक है कि यदि किसी अधिकारी ने परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की, तो उसके निर्णय की निष्पक्ष समीक्षा हो। यदि उसने नियमों का उल्लंघन किया है तो कानून अपना काम करे, लेकिन यदि उसने केवल मानवीय आधार पर सीमित समय देने का प्रयास किया था, तो यह भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसे विवेक के लिए कोई स्थान बचा है।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति केवल कानून नहीं, बल्कि कानून पर जनता का विश्वास होता है। यह विश्वास तभी बनता है जब नागरिक महसूस करें कि सरकार निष्पक्ष भी है और संवेदनशील भी। कठोर प्रशासन और मानवीय करुणा एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सुशासन के दो आवश्यक स्तंभ हैं।

अंततः यह विवाद केवल नकटी का नहीं है। यह पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए आत्ममंथन का अवसर है। यदि सरकार कानून का सम्मान बनाए रखते हुए प्रत्येक प्रभावित गरीब परिवार का सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करती है, प्रशासनिक जवाबदेही तय करती है और भविष्य के लिए ऐसी परिस्थितियों को रोकने की प्रभावी व्यवस्था बनाती है, तभी यह कहा जा सकेगा कि इस घटना से व्यवस्था ने कोई सबक सीखा है। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सरकारी भूमि की रक्षा जितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक गरीब की गरिमा और इंसानियत की रक्षा भी है।

कानून का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करना है। और न्याय तब ही पूर्ण होता है, जब उसमें संवेदनशीलता भी शामिल हो।

जब विकास के सामने खड़ी हो आदिवासी अस्मिता

नरेन्द्र पाण्डेय

छत्तीसगढ़ एक बार फिर इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहाँ विकास और प्रकृति, आधुनिकता और परंपरा, राष्ट्रीय हित और स्थानीय अधिकार—सभी एक-दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक ओर बस्तर में प्रस्तावित 22 हजार करोड़ रुपये का बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना है, जिससे सिंचाई, बिजली और औद्योगिक विकास की नई संभावनाओं की बात कही जा रही है। दूसरी ओर अबूझमाड़ के जंगल हैं, जहाँ दशकों बाद नक्सल हिंसा कम होने के साथ विकास के रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ जंगलों की कटाई और आदिवासी जीवन पर मंडराते संकट की आशंकाएँ भी तेज हो गई हैं।

यह केवल दो परियोजनाओं या दो घटनाओं की कहानी नहीं है। यह उस विकास मॉडल पर बहस है, जिसे भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अपनाया जाना चाहिए।

बोधघाट परियोजना नई नहीं है। लगभग पाँच दशक पहले जिस योजना की परिकल्पना की गई थी, वह आज एक नए स्वरूप में फिर चर्चा में है। सरकार का दावा है कि यह परियोजना बस्तर के लाखों किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराएगी, बिजली उत्पादन बढ़ाएगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति देगी। यदि यह सब होता है, तो निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी विकास परियोजनाओं में से एक होगी। लेकिन विकास की इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

जिन लोगों के लिए जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, आजीविका, आस्था और पहचान है, उनके लिए पुनर्वास केवल जमीन का मुआवजा नहीं हो सकता। उनके जीवन का पूरा सामाजिक और सांस्कृतिक ताना-बाना उस भूमि से जुड़ा होता है, जहाँ उनके पूर्वजों की स्मृतियाँ बसती हैं।

जानकारी के अनुसार, इस परियोजना से अनेक गांव प्रभावित होंगे और हजारों आदिवासियों को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों के लिए जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, आजीविका, आस्था और पहचान है, उनके लिए पुनर्वास केवल जमीन का मुआवजा नहीं हो सकता। उनके जीवन का पूरा सामाजिक और सांस्कृतिक ताना-बाना उस भूमि से जुड़ा होता है, जहाँ उनके पूर्वजों की स्मृतियाँ बसती हैं।

इसी तरह अबूझमाड़ की कहानी भी केवल जंगलों की नहीं है। वर्षों तक नक्सल हिंसा के कारण देश के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में गिने जाने वाले अबूझमाड़ में अब सड़कें बन रही हैं, प्रशासन पहुँच रहा है और विकास की योजनाएँ शुरू हो रही हैं। यह परिवर्तन स्वागत योग्य है। कोई भी समाज हिंसा और अलगाव में विकास नहीं कर सकता। लेकिन विकास के नाम पर यदि बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई होने लगे,

तो यह चिंता भी उतनी ही स्वाभाविक है।

अबूझमाड़ केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। यह भारत की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के जंगल हजारों वन्य जीवों, दुर्लभ वनस्पतियों और आदिवासी समुदायों के जीवन का आधार हैं। यदि विकास की प्रक्रिया में पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है, तो उसका प्रभाव केवल बस्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा।

यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि विकास होना चाहिए या नहीं। प्रश्न यह है कि विकास किस प्रकार का हो?

क्या ऐसा विकास संभव नहीं, जिसमें बाँध भी बने, लेकिन विस्थापन न्यूनतम हो? सड़क भी बने, लेकिन जंगल अनावश्यक रूप से न कटें? उद्योग भी आएँ, लेकिन आदिवासी अपनी पहचान और अधिकार न खोएँ?

दुनिया के अनेक देशों ने अब यह स्वीकार किया है कि विकास केवल सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने का नाम नहीं है। वास्तविक विकास वही है, जिसमें पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक न्याय और स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी शामिल हो। छत्तीसगढ़ में यह प्रश्न इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती है। संविधान ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। वनाधिकार कानून, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (पेसा) और ग्राम सभाओं की भूमिका केवल औपचारिकता नहीं है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी समाज के भविष्य का निर्णय उसकी भागीदारी के बिना न हो।

यदि विकास परियोजनाओं में प्रभावित लोगों की सहमति, पारदर्शी संवाद और न्यायपूर्ण पुनर्वास को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तो विरोध स्वाभाविक होगा। दूसरी ओर यदि हर परियोजना केवल विरोध के कारण रुक जाए, तो क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा। इसलिए समाधान किसी एक छोर पर नहीं, बल्कि दोनों के बीच संतुलन में है।

सरकार का यह दायित्व है कि वह केवल परियोजनाओं की लागत और लाभ का ही आकलन न करे, बल्कि उनकी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत का भी ईमानदारी से मूल्यांकन करे। पुनर्वास केवल नकद मुआवजा देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक आवास, कृषि योग्य भूमि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक संरक्षण की गारंटी भी उतनी ही आवश्यक है।

इसी प्रकार पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ केवल कागजी प्रक्रिया बनकर न रह जाएँ। यदि हजारों हेक्टेयर जंगल प्रभावित होते हैं, तो उसके बदले वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण के उपाय भी उसी गंभीरता से लागू होने चाहिए।

बस्तर ने लंबे समय तक हिंसा, भय और अविकास का दौर देखा है। अब जब शांति लौट रही है, तो विकास का स्वागत होना चाहिए। लेकिन यह विकास ऐसा हो, जिससे आदिवासी स्वयं को साझेदार महसूस करें, पीड़ित नहीं। उन्हें यह विश्वास हो कि सरकार उनके भविष्य का निर्णय उनके साथ मिलकर कर रही है, उनके ऊपर नहीं।

अंततः बोधघाट और अबूझमाड़ का प्रश्न केवल एक बाँध या कुछ हजार हेक्टेयर जंगल का नहीं है। यह उस सोच की परीक्षा है, जो तय करेगी कि भारत का विकास मॉडल कैसा होगा—क्या वह केवल आर्थिक आंकड़ों पर आधारित होगा, या उसमें प्रकृति, संस्कृति और इंसान की गरिमा भी समान रूप से शामिल होगी।

क्योंकि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, वे सभ्यताओं की स्मृति होते हैं। और विकास केवल बाँध, सड़क या बिजली नहीं होता, वह तब सार्थक होता है जब उसके साथ इंसान, प्रकृति और संस्कृति—तीनों सुरक्षित आगे बढ़ें। यही संतुलन सुशासन की सबसे बड़ी पहचान है।

क्या भारत ने एथेनॉल के मुद्दे पर बहुत जल्दी एक्सलरेटर दबा दिया?

> भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर बहस अब केवल तकनीकी नहीं रही, बल्कि यह आम आदमी की जेब, वाहन की उम्र, किसानों की आय और देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा राष्ट्रीय विमर्श बन चुकी है।

हर्षित पाण्डेय

भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर बहस अब केवल तकनीकी नहीं रही, बल्कि यह आम आदमी की जेब, वाहन की उम्र, किसानों की आय और देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा राष्ट्रीय विमर्श बन चुकी है। सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बता रही है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा बचेगी, प्रदूषण घटेगा और गन्ना तथा अन्य फसलों से जुड़े किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा।

इन उद्देश्यों पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। प्रश्न लक्ष्य का नहीं है। प्रश्न उस रास्ते का है, जिस पर चलकर हम उस लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं।

आज देशभर में लाखों वाहन मालिक एक ही सवाल पूछ रहे हैं—क्या मेरी गाड़ी श्र20 पेट्रोल के लिए बनी है? क्या इंजन की उम्र प्रभावित होगी? क्या माइलेज कम होगा? यदि माइलेज घटेगा तो क्या ईंधन सस्ता मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल—क्या इस बदलाव के लिए देश पूरी तरह तैयार है?

इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए हमें उस देश की ओर देखना होगा जिसने दुनिया में एथेनॉल का सबसे सफल मॉडल विकसित किया—ब्राज़ील।

ब्राज़ील ने एथेनॉल की यात्रा रातोंरात शुरू नहीं की। उसने दशकों तक तैयारी की। पहले गन्ना उत्पादन को मजबूत किया, फिर डिस्टिलरी नेटवर्क विकसित किया, उसके बाद ईंधन वितरण प्रणाली तैयार की। ऑटोमोबाइल कंपनियों को पर्याप्त समय दिया गया ताकि वे ऐसे इंजन विकसित करें जो अलग-अलग अनुपात में एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर सुरक्षित रूप से चल सकें। इसके बाद लोगों को जागरूक किया गया और अंततः बाजार को पूरी तरह तैयार होने दिया गया। आज ब्राज़ील में फ्लेक्स-फ्यूल वाहन सामान्य बात हैं। वहाँ का उपभोक्ता जानता है कि वह किस ईंधन का उपयोग कर रहा है और उसका वाहन किस ईंधन के लिए उपयुक्त है।

भारत ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया है, लेकिन गति कहीं अधिक तेज़ दिखाई देती है। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक श्र20 ब्लेंडिंग का लक्ष्य निर्धारित किया और कई स्थानों पर इसकी आपूर्ति भी शुरू हो गई। लेकिन क्या देश का पूरा वाहन बेड़ा इस बदलाव के लिए तैयार है?

यहीं से बहस शुरू होती है।

सबसे पहले एक बात सरल भाषा में समझना ज़रूरी है।

- E10 का अर्थ है—10 प्रतिशत एथेनॉल और 90 प्रतिशत पेट्रोल।
- E 20 यानी 20 प्रतिशत एथेनॉल।
- E 85 का अर्थ है—85 प्रतिशत एथेनॉल और केवल 15 प्रतिशत पेट्रोल।
- यानी जितना बड़ा अंक, पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा उतनी अधिक।

लेकिन हर वाहन हर मिश्रण पर सुरक्षित नहीं चलता। सामान्य पेट्रोल इंजन सीमित स्तर तक एथेनॉल मिश्रण को स्वीकार कर सकते हैं, जबकि फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (FFV) विशेष रूप से इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि वे E 20 से लेकर E 85

तक विभिन्न मिश्रणों पर भी सुचारु रूप से चल सकें। यहीं तकनीक और नीति के बीच संतुलन की आवश्यकता है।

एक और महत्वपूर्ण प्रश्न माइलेज का है। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल की तुलना में कम होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर वाहन में माइलेज समान रूप से कम होगा, लेकिन अधिक एथेनॉल मिश्रण पर कई परिस्थितियों में ईंधन की खपत बढ़ सकती है। अलग-अलग इंजन, ड्राइविंग शैली और मौसम के अनुसार इसका प्रभाव भी अलग-अलग हो सकता है।

यदि उपभोक्ता को प्रति लीटर कम दूरी मिले और ईंधन की कीमत में पर्याप्त अंतर भी न हो, तो स्वाभाविक रूप से वह आर्थिक लाभ का प्रश्न उठाएगा। आम आदमी पर्यावरण की चिंता भी करता है, लेकिन महीने का बजट उससे भी बड़ा सच होता है।

सरकार का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत अपनी तेल आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यदि एथेनॉल के माध्यम से आयात बिल कम होता है, किसानों को नया बाजार मिलता है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, तो यह निस्संदेह दूरगामी लाभ देने वाली नीति हो सकती है।

लेकिन किसी भी नीति की सफलता केवल उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन से तय होती है।

- क्या सभी पेट्रोल पंपों पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध है कि कौन-सा ईंधन किस वाहन के लिए उपयुक्त है?
- क्या पुराने वाहनों के मालिकों को पर्याप्त जागरूक किया गया है?
- क्या ऑटोमोबाइल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से बताया है कि कौन-सा मॉडल किस स्तर की ब्लेंडिंग के लिए उपयुक्त है?
- क्या भविष्य में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा?

यदि उपभोक्ता को प्रति लीटर कम दूरी मिले और ईंधन की कीमत में पर्याप्त अंतर भी न हो, तो स्वाभाविक रूप से वह आर्थिक लाभ का प्रश्न उठाएगा। आम आदमी पर्यावरण की चिंता भी करता है, लेकिन महीने का बजट उससे भी बड़ा सच होता है।

यही वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नीति निर्माताओं को देना होगा।

इस विषय पर न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया गया। जनहित याचिका में उपभोक्ताओं को विकल्प देने की मांग उठी, लेकिन सरकार ने इसे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ईंधन की नीति बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि बहस समाप्त हो गई। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब इस नीति की वास्तविक परीक्षा ज़मीन पर होगी।

भारत को एथेनॉल चाहिए या नहीं ?

उत्तर शायद स्पष्ट है—हाँ, चाहिए।

लेकिन भारत को केवल एथेनॉल नहीं चाहिए। भारत को ऐसा एथेनॉल मॉडल चाहिए जिसमें किसान भी लाभ में रहे, उपभोक्ता भी संतुष्ट रहे, वाहन उद्योग भी तैयार हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।

नीतियाँ केवल घोषणा से सफल नहीं होतीं। वे तब सफल होती हैं जब सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय और आम नागरिक एक ही दिशा में चलें।

ब्राज़ील ने मंज़िल तक पहुँचने के लिए पहले सड़क बनाई, फिर वाहन तैयार किए और उसके बाद रफ़्तार बढ़ाई। भारत ने सड़क बनाते-बनाते गति भी बढ़ा दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह तेज़ी हमें आत्मनिर्भरता की मंज़िल तक पहुँचाती है या फिर रास्ते में कुछ और तैयारी की ज़रूरत महसूस होती है।

क्योंकि विकास की दौड़ में केवल तेज़ दौड़ना ही पर्याप्त नहीं होता, सही दिशा में दौड़ना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है।

'नीली क्रांति' से समृद्धि की ओर

मछली पालन बना ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया आधार

धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक जनसंपर्क, रायपुर

सरकारी योजनाओं से मिल रहा संबल, मत्स्य पालन से खुल रहे आय और स्वरोजगार के नए द्वार

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ सहायक व्यवसायों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्हीं में मछली पालन आज केवल भोजन का स्रोत नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार, आय और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन गया है। कम लागत, कम समय में बेहतर उत्पादन और बाजार में बढ़ती मांग के कारण यह व्यवसाय गांवों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

मत्स्य पालन जैसे आयवर्धक व्यवसायों को अपनाएं

छतीसगढ़ में मछली पालन राज्य के प्रमुख और अत्यधिक लाभदायक व्यवसायों में से एक है। कृषि का दर्जा मिलने से इसे बढ़ावा मिला है और राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भी किसानों से आह्वान किया है कि वे खेती को केवल धान तक सीमित न रखें। दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे आयवर्धक व्यवसायों को अपनाएं। इसी सोच के अनुरूप भारत सरकार और छतीसगढ़ सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, जिससे किसानों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई मजबूती

ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन सीमित भूमि और कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है। तालाब, जलाशय, नहर और अन्य जल स्रोतों का उपयोग कर किसान अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। बढ़ती आबादी और पौष्टिक भोजन की मांग से मछली की खपत लगातार बढ़ रही है। प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर मछली स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।

मत्स्य पालन में रोजगार के बड़े अवसर

मत्स्य पालन न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाता है, बल्कि मत्स्य बीज उत्पादन, आहार निर्माण, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के बड़े अवसर देता है।

राज्य पोषित योजनाओं से बढ़ रही संभावनाएं, शिक्षण एवं प्रशिक्षण

छतीसगढ़ सरकार मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता दे रही है। आधुनिक तकनीकों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण में तालाब प्रबंधन, मत्स्य बीज उत्पादन, रोग नियंत्रण और विपणन की जानकारी दी जाती है। तकनीकी उन्नयन के लिए विशेष प्रशिक्षण भी होते हैं।

मत्स्य पालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण

प्रगतिशील मत्स्य पालकों को राज्य के बाहर सफल मॉडल देखने भेजा जाता है, ताकि वे नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित हों।

सहकारी समितियों को अनुदान-

उत्पादन और विपणन व्यवस्था मजबूत करने के लिए मत्स्य सहकारी समितियों को आर्थिक मदद दी जाती है।

नाव-जाल सहायता-

अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नाव-जाल देकर पारंपरिक मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जा रहा है।

फुटकर विक्रेताओं को मदद- आइस बॉक्स, तराजू जैसे उपकरण देकर छोटे मछुआरों को बेहतर बाजार और लाभ दिलाया जा रहा है।

स्पॉन संवर्धन व झींगा पालन- अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को स्पॉन संवर्धन और झींगा सह मछली पालन के लिए विशेष सहायता मिल रही है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दे रही नई उड़ान

केंद्र-राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से चल रही इस योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, रोजगार सृजन और मछुआरों की आय बढ़ाना है।

आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहन-

मत्स्य बीज उत्पादन बढ़ाने और नए तालाब निर्माण के लिए आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है। बेहतर वृद्धि के लिए संतुलित आहार, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सजावटी मछली व केज कल्चर- मत्स्य पालन के क्षेत्र में सजावटी मछली पालन इकाइयों और जलाशयों में केज कल्चर से स्वरोजगार के नए अवसर बन रहे हैं।

विपणन को मजबूती-

मत्स्य पालकों को शीत संयंत्र, प्रशीतित वाहन, आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा और लाइव फिश सेंटर से मछलियों की गुणवत्ता बनाए रखकर बेहतर विपणन सुनिश्चित हो रहा है।

मछुआरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कवच

बचत सह राहत योजना-

मछली पकड़ने की बंद (15 जून से 15 अगस्त तक) अवधि में आर्थिक मदद के लिए केंद्र-राज्य के सहयोग से यह योजना चल रही है।

नि:शुल्क समूह बीमा योजना-

मत्स्य पालकों के दुर्घटना, मृत्यु या अपंगता की स्थिति में मछुआरों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है।

आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर कदम

मछली पालन आज ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का अहम माध्यम बन गया है। सरकार की योजनाएं किसानों, युवाओं, महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को स्वरोजगार के नए अवसर दे रही हैं। आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण से मत्स्य क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं बन रही हैं।

मत्स्य पालन आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम

इच्छुक हितग्राही अपने नजदीकी मत्स्य विभाग कार्यालय से संपर्क कर योजनाओं की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। मछली पालन न सिर्फ आय बढ़ाने का जरिया है, बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम भी है।

व्यंग्य

मुआवज़े का नागराज

हमारा देश बड़ा अद्भुत है। यहाँ साँप से कम, साँप के कागज़ ज़्यादा डसते हैं।

बेचारा साँप तो जंगल में रहता है। किसी खेत में निकल आया, किसी झाड़ी में दिख गया, कभी गलती से किसी को काट भी लिया। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी एक छोटी-सी 'डसने की घटना' कई लोगों के लिए कमाई का सुनहरा अवसर बन जाएगी।

अब साँप भी सोच रहा होगा—'मैं तो ज़हर देता हूँ, ये लोग तो ज़हर से भी महँगा कारोबार कर रहे हैं!'

सरकार ने गरीब परिवारों की मदद के लिए सर्पदंश मृत्यु पर मुआवज़े की व्यवस्था बनाई। उद्देश्य नेक था—जिस घर का कमाने वाला चला जाए, उस परिवार को सहारा मिले। लेकिन हमारे समाज में हर अच्छी योजना के आसपास कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग जन्म ले लेते हैं, जिन्हें ईमानदारी से अधिक जुगाड़ पर भरोसा होता है।

फिर शुरू होता है महान भारतीय अनुसंधान...

पहले मृत्यु ढूँढी जाती है, फिर उसके लिए साँप ढूँढा जाता है।

यदि साँप नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। रिपोर्ट में मिल जाएगा।

यदि रिपोर्ट में दिक्कत हुई, तो गवाह तैयार हो जाएंगे।

यदि गवाह कम पड़े, तो कहानी लिख दी जाएगी।

आखिर हम वह देश हैं जहाँ कई बार सच्चाई को सबूत देना पड़ता है और झूठ को सिर्फ़ मुहर चाहिए।

अब बेचारा साँप भी परेशान है। जंगल में दूसरे साँपों की बैठक बुलाकर पूछ रहा है—

'भाइयों, हमने इस महीने कितनों को काटा?'

दूसरा साँप बोला—

'महाराज, हमने तो किसी को नहीं काटा।'

तीसरा बोला—

'लेकिन अख़बार में पढ़ा है कि हमारे खाते में दर्जनों मौतें जमा हो गई हैं।'

साँप ने लंबी फुफकार भरी—

'लगता है अब हमें भी अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा।'

इधर अस्पताल में डॉक्टर सोच रहा है कि मरीज की बीमारी क्या थी, उधर कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि बीमारी को सर्पदंश कैसे बनाया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कभी-कभी ऐसी यात्रा करती है कि सच्चाई रास्ते में कहीं उतर जाती है और मुआवज़े की फ़ाइल मंज़िल तक पहुँच जाती है।

सरकारी दफ्तर में भी फाइलों का अपना जीवन होता है। एक फाइल तब तक सोती रहती है, जब तक उसके कान में कोई फुसफुसाकर न कह दे—'इसमें संभावना है...' फिर वही फाइल रॉकेट की गति से उड़ने लगती है।

सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस पूरे खेल में साँप सबसे निर्दोष पात्र है। उसने तो केवल प्रकृति का नियम निभाया होगा, लेकिन उसके नाम पर इंसानों ने ऐसा कारोबार खड़ा कर दिया कि नागलोक में भी चर्चा शुरू हो गई।

कहा जा रहा है कि शेषनाग ने भगवान विष्णु से निवेदन किया है—

'प्रभु! अब पृथ्वी पर हमारा नाम बदनाम हो रहा है। हमने तो पृथ्वी संभाली थी, इन्होंने हमारे नाम पर मुआवज़े का उद्योग खोल दिया।'

भगवान मुस्कुराए और बोले—

'चिंता मत करो। वहाँ अब हर योजना का यही हाल है। योजना गरीब के लिए बनती है, रास्ते में कई लोग उसका प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं।'

व्यंग्य अपनी जगह है, लेकिन सच इससे कहीं अधिक गंभीर है। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु को सर्पदंश बताकर सरकारी खजाने से मुआवज़ा लिया जाता है, तो वह केवल सरकारी धन की चोरी नहीं होती। वह उस गरीब परिवार का अधिकार छीनना भी होता है, जिसका कोई सदस्य सचमुच साँप के काटने से मरा हो।

योजनाएँ कभी भ्रष्ट नहीं होतीं, नीयत भ्रष्ट होती है।

साँप का ज़हर एक बार मारता है, लेकिन लालच का ज़हर पूरे समाज को धीरे-धीरे खोखला कर देता है।

इसलिए अगली बार जंगल में साँप दिखे तो उससे डरिए जरूर, लेकिन उससे भी ज़्यादा सावधान उन लोगों से रहिए, जो हर मौत में मुआवज़े का अवसर और हर सरकारी योजना में अपना हिस्सा ढूँढ लेते हैं।

क्योंकि आजकल देश में सबसे खतरनाक प्रजाति कोबरा नहीं, 'कागज़ी नाग' है—जो फन नहीं फैलाता, बल्कि फाइल फैलाता है।

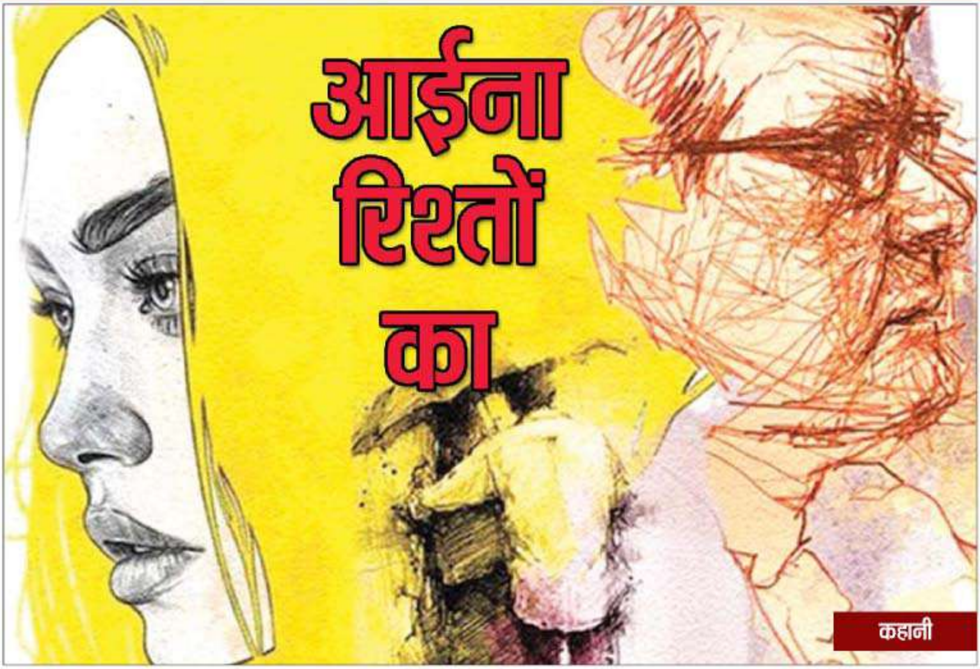

आईना रिश्तों का

कहानी

वसुधा बचपन से ही अपनी बड़ी बहन मधुरा को बहुत करीब से देखती आई थी। उम्र में पाँच वर्ष छोटी होने के कारण उसने हमेशा बहन का सम्मान किया, लेकिन समय के साथ वह यह भी समझ गई थी कि मधुरा का व्यक्तित्व बाहर से जितना स्नेहमयी दिखता था, भीतर से उतना ही स्वार्थी और नियंत्रणप्रिय था।

मधुरा हर रिश्ते में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखना चाहती थी। किसी की प्रशंसा करना भी उसके लिए कठिन था। वह चाहती थी कि घर में वही अंतिम निर्णय लेने वाली हो और हर व्यक्ति उसी की प्रशंसा करे।

मधुरा का बेटा आदित्य एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत था। उसकी शादी नैना से हुई थी। नैना पढ़ी-लिखी, विनम्र और बेहद संस्कारी लड़की थी। उसे दिखावे से अधिक सादगी पसंद थी। शादी के बाद उसने पूरे मन से नए घर को अपनाने की कोशिश की।

लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी।

मधुरा को बहू का हर गुण अपनी कमी जैसा लगने लगा। यदि कोई नैना की तारीफ़ कर देता तो उसके चेहरे पर मुस्कान तो रहती, पर भीतर ईर्ष्या जाग उठती।

एक दिन वसुधा अपनी बहन के घर गई। मधुरा शिकायतों की पोटली खोलकर बैठ गई।

'तुम्हें पता है, नैना को कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। जो भी दो, कह देती है— मम्मी, आपके पास ही अच्छी लगती है। कितना दिखावा करती है!'

वसुधा चुपचाप सुनती रही। वह जानती थी कि नैना का स्वभाव ऐसा नहीं है।

कुछ दिन पहले उसने नैना से पूछा था, 'बेटा, शादी में जो झुमके पहने थे, बहुत सुंदर थे।'

नैना मुस्कुराकर बोली थी, 'मौसीजी, वे असली नहीं थे। पापा कहते थे कि भीड़ में महंगे गहने पहनना ठीक नहीं। अगर आपको पसंद आए हों तो मैं वैसे ही बनवा दूँ।'

उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मधुरा ने बीच में टोक दिया था, 'नैना, जरा रसोई में देखो, चाय बन गई होगी।'

वसुधा समझ गई थी कि मधुरा नहीं चाहती कि उसकी बहू किसी के दिल के करीब जाए।

धीरे-धीरे हालात बिगड़ने लगे।

जब भी नैना खाना बनाने जाती, मधुरा कहती—

'नहीं बेटा, तुम्हें हमारे घर का स्वाद नहीं आएगा। रहने दो।'

यदि वह घर सजाने की बात करती तो जवाब मिलता—

'अभी रहने दो, तुम्हें अनुभव नहीं है।'

दिन-प्रतिदिन उसे यह विश्वास दिलाया जाने लगा कि वह किसी काम की नहीं है।

कुछ ही महीनों में आत्मविश्वास से भरी लड़की संकोची और डरी हुई हो गई। उसके हाथों में हर काम करते समय कंपन होने लगा।

एक दिन सबके सामने उसका धैर्य टूट गया।

'मम्मी, मुझे हर बात में रोकिए मत। मुझे भी कुछ करने दीजिए।'

इतना कहना था कि घर का माहौल बदल गया।

मधुरा रोने लगी।

आदित्य ने भी बिना पूरी बात समझे अपनी माँ का साथ दिया।

उस रात नैना को घबराहट का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा।

जब वसुधा को यह बात पता चली तो उसका मन व्याकुल हो उठा।

कुछ दिनों बाद उसने आदित्य से कहा—

'बेटा, अगर मेरी बात मानो तो नैना को कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ दो। उसे दवाइयों से ज्यादा अपनापन चाहिए।'

आदित्य दुविधा में था, लेकिन मौसी पर उसे विश्वास था। वह एक कार्यालयी यात्रा का बहाना बनाकर नैना को वसुधा के घर छोड़ गया।

पहले दिन नैना पूरे समय चुप रही।

वसुधा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा—

'क्या हुआ मेरी बच्ची?'

बस इतना सुनना था कि नैना फूट-फूटकर रो पड़ी।

'मौसी... मुझे लगता है मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैं सबको दुख देती हूँ।'

वसुधा ने उसे गले लगा लिया।

'जिस लड़की ने अपने मायके का पूरा घर संभाला, वह अचानक अयोग्य कैसे हो सकती है?'

नैना पहली बार किसी के सामने खुलकर रोई।

अगली सुबह वसुधा ने घर की चाबियाँ उसके हाथ में रख दीं।

'आज से यह घर तुम्हारा है। जैसा मन करे वैसा करो।'

नैना घबरा गई।

'अगर मुझसे गलती हो गई तो?'

'गलती होगी तो साथ बैठकर सुधार लेंगे। लेकिन कोशिश तो करो।'

धीरे-धीरे चमत्कार होने लगा।

जिस लड़की के हाथ चाय बनाते समय काँपते थे, वही अब पूरे घर का नाश्ता तैयार करने लगी।

उसने ड्रॉइंग रूम की सजावट बदल दी। पुराने परदे हटाकर नए रंगों का संयोजन किया। दीवारों पर अपनी बनाई पेंटिंग्स लगा दीं।

वसुधा के पति शेखर सब देखकर भावुक हो उठे।

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा—

'हम तो सोचते थे कि बेटी होती तो शायद ऐसी होती।'

पंद्रह दिनों में घर जैसे खिल उठा।

सबसे बड़ी बात यह थी कि नैना फिर से मुस्कुराने लगी थी।

उसकी आँखों का भय गायब हो रहा था।

जब आदित्य वापस आया तो उसने अपने

'बेटा, समस्या नैना में नहीं थी। समस्या उस वातावरण में थी जहाँ हर दिन उसे यह विश्वास दिलाया जाता रहा कि वह अयोग्य है।'

सामने बदली हुई पत्नी देखी।

टेबल पर स्वादिष्ट भोजन था।

घर पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था।

आदित्य हैरान रह गया।

'यह सब किसने किया?'

शेखर मुस्कुराए।

'जिसे तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं आता था, उसी ने।'

आदित्य की आँखें झुक गईं।

वसुधा ने शांत स्वर में कहा—

'बेटा, समस्या नैना में नहीं थी। समस्या उस वातावरण में थी जहाँ हर दिन उसे यह विश्वास दिलाया जाता रहा कि वह अयोग्य है।'

आदित्य की आँखें भर आईं।

उसने पहली बार अपनी पत्नी से माफी माँगी।

घर लौटने के बाद नैना ने वही किया जो वह हमेशा करना चाहती थी।

उसने स्वयं रसोई संभाली, घर सजाया और अपने तरीके से परिवार का ध्यान रखने लगी।

शुरुआत में मधुरा को यह सब अच्छा नहीं लगा।

वह हर मिलने वाले से शिकायत करती—

'देखो, मेरी बहू कितनी बदल गई है। अब तो अपनी मर्जी चलाती है।'

वसुधा हर बार मुस्कुरा देती।

उसे पता था कि यह बदलाव विद्रोह का नहीं, आत्मविश्वास के लौट आने का था।

कुछ दिनों बाद मधुरा फिर अपनी शिकायतें लेकर वसुधा के पास आई।

'नैना पहले जैसी नहीं रही।'

वसुधा ने इस बार पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा—

'नैना नहीं बदली, दीदी। बदला सिर्फ उसका डर है।'

मधुरा चुप हो गई।

शायद पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया था।

रिश्ते अधिकार से नहीं, विश्वास से चलते हैं।

प्रेम का अर्थ किसी को अपने अनुसार ढालना नहीं, बल्कि उसे उसकी पहचान के साथ स्वीकार करना है।

जिस दिन घर की बहू को यह विश्वास मिल जाता है कि उसकी राय भी मायने रखती है, उसी दिन वह केवल घर नहीं संभालती, पूरे परिवार को जोड़ देती है। और जिस घर में सम्मान जीवित रहता है, वहाँ रिश्तों को अभिनय की आवश्यकता नहीं पड़ती।

ब्रह्म सृजन नहीं करता, ब्रह्म की शक्ति सृजन कराती है। माया ब्रह्म को संसार में स्थानांतरित करती है। वही जन्म का माध्यम है, वही पालन की शक्ति है और वही अंततः ब्रह्म में पुनः विलय का मार्ग भी।

नरेन्द्र पाण्डेय

हम सामान्यतः यह कल्पना कर लेते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में केवल ब्रह्म था—एकाकी, निरपेक्ष और निर्विकार। किंतु वैदिक दर्शन इस धारणा को स्वीकार नहीं करता। जहाँ अस्तित्व है, वहाँ उसकी अभिव्यक्ति भी है। जहाँ अग्नि है, वहाँ उसका अन्न भी है। जहाँ पुरुष है, वहाँ उसकी शक्ति भी है। इसलिए ब्रह्म कभी अकेला नहीं हो सकता।

वेद अग्नि और सोम को सृष्टि के दो मूल तत्त्व मानते हैं। अग्नि चेतना है, पुरुष है, प्रकाश है, प्राण है। सोम उसका पोषण है, उसकी शक्ति है, उसका रस है, उसकी माया है। अग्नि बिना सोम के जल नहीं सकती और सोम बिना अग्नि के अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता। यही कारण है कि विष्णु को केवल पालनकर्ता ही नहीं, सृष्टि के मूल प्रवर्तक के रूप में भी देखा गया है। प्रलय के अनंत जल में शयन करते विष्णु वस्तुतः उस चेतना का प्रतीक हैं, जिसके गर्भ में सम्पूर्ण सृष्टि बीज रूप में स्थित रहती है।

प्रलय में कुछ भी नष्ट नहीं होता। केवल नाम और रूप विलीन होते हैं। तत्त्व अपने कारण रूप में विद्यमान रहते हैं। अग्नि प्राण रूप में स्थित रहती है और सोम बीज रूप में। जब मातरिश्वा वायु उस बीज को गति देती है, तब सृष्टि का प्रथम स्पन्दन उत्पन्न होता है। इसी स्पन्दन को ब्रह्मा का प्राकट्य कहा गया है।

अंधकार केवल प्रकाश का अभाव नहीं है; वह संभावनाओं का क्षेत्र भी है। उसी अंधकार को पुराणों ने असुरों का प्रदेश कहा, उसी को योगशास्त्र ने अविद्या कहा और उसी को वेदान्त ने माया कहा। माया वस्तुतः आवरण है। वह सत्य को छिपाती भी है और उसी तक पहुँचने का मार्ग भी बनाती है। इसलिए माया शत्रु नहीं, ब्रह्म की शक्ति है।

मनुष्य के भीतर भी यही ब्रह्म और माया निरंतर कार्यरत हैं। प्राण ब्रह्म है और श्वास उसकी गति। कामना माया है और वही जीवन को दिशा देती है। यदि कामना न हो तो सृष्टि का प्रवाह रुक जाए। यदि केवल कामना ही हो और ज्ञान न हो तो मनुष्य अंधकार में भटकता रहे। ज्ञान का प्रकाश अविद्या को हटाता है, किंतु माया का अस्तित्व समाप्त नहीं करता। वह केवल उसके वास्तविक स्वरूप का बोध करा देता है।

इसीलिए भारतीय दर्शन द्वैत और अद्वैत को विरोधी नहीं मानता। ब्रह्म और माया अलग दिखाई देते हैं, पर वास्तव में अभिन्न हैं। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा, सूर्य और उसका प्रकाश, जल और उसकी तरलता। इसी सत्य को अर्धनारीश्वर की मूर्ति में अभिव्यक्त किया गया है। आधा शिव और आधी शक्ति—यह कोई मूर्तिकला नहीं, बल्कि सम्पूर्ण अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रतीक है।

पुरुष चेतना का प्रतिनिधि है और स्त्री शक्ति का। पुरुष बीज है तो स्त्री भूमि। वर्षा और पृथ्वी दोनों मिलकर ही अन्न उत्पन्न करते हैं। बीज अकेला वृक्ष नहीं बन सकता और भूमि अकेले फसल नहीं उगा सकती। यही सृष्टि का सनातन सिद्धान्त है।

विवाह केवल दो व्यक्तियों का सामाजिक अनुबंध नहीं है। यह ब्रह्म और माया के पुनर्मिलन का वैदिक संस्कार है। पुरुष अपने भीतर की चेतना लेकर आता है और स्त्री अपनी सृजनशक्ति। दोनों का मिलन केवल शरीरों का नहीं, संकल्पों का होना चाहिए। जहाँ केवल शरीर मिलते हैं वहाँ भोग जन्म लेता है; जहाँ आत्माएँ मिलती हैं वहाँ सृष्टि आगे बढ़ती है।

आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आधुनिक शिक्षा ने शरीर को तो समझा, किंतु जीवात्मा को भुला दिया। विवाह उत्सव रह गया, संस्कार नहीं। प्रेम आकर्षण रह गया, तप नहीं। परिणाम यह हुआ कि संबंधों में आत्मा का स्थान शरीर ने ले लिया और सृजन का स्थान उपभोग ने।

स्त्री के भीतर प्रकृति ने एक अद्भुत संकल्प स्थापित किया है। वह केवल संतान को जन्म नहीं देती; वह ब्रह्मांश को अपने भीतर प्रतिष्ठित करती है। गर्भ उसके लिए केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्म और माया के अद्वैत का पुनः साकार होना है। इसलिए भारतीय संस्कृति ने गर्भ को मंदिर माना और गर्भसंस्कार को यज्ञ।

नई सृष्टि का निर्माण शुक्र और डिंब के मिलन से पहले ही प्रारम्भ हो जाता है। वह तब प्रारम्भ होता है जब दो चेतनाएँ एक ही संकल्प में प्रवेश करती हैं। जैविक मिलन तो उसका अंतिम दृश्य है; वास्तविक प्रक्रिया सूक्ष्म स्तर पर पहले ही आरम्भ हो चुकी होती है।

इसीलिए कहा गया है—ब्रह्म सृजन नहीं करता, ब्रह्म की शक्ति सृजन कराती है। माया ब्रह्म को संसार में स्थानांतरित करती है। वही जन्म का माध्यम है, वही पालन की शक्ति है और वही अंततः ब्रह्म में पुनः विलय का मार्ग भी।

सृष्टि का रहस्य इसी अनादि युगल में छिपा है। ब्रह्म बिना माया अधूरा है और माया बिना ब्रह्म दिशाहीन। दोनों मिलकर ही जीवन, प्रेम, परिवार, समाज और सम्पूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। यही सनातन दर्शन का शाश्वत सत्य है।

संबंध केवल साथ होने का नाम नहीं

जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो केवल दो व्यक्तियों को ही नहीं, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो जीवन यात्राओं को भी एक नए सूत्र में बाँध देते हैं। सगाई ऐसा ही एक पावन अवसर है, जहाँ केवल अंगूठियों का आदान-प्रदान नहीं होता, बल्कि विश्वास, सम्मान, प्रेम और साथ निभाने का एक सुंदर संकल्प लिया जाता है।

संबंध केवल साथ होने का नाम नहीं है। संबंध का वास्तविक अर्थ है– समान भाव से बंधना। ऐसा बंधन, जिसमें दोनों एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक-दूसरे के सपनों को अपना समझें और जीवन की हर परिस्थिति में एक-दूसरे का संबल बनें।

किसी भी रिश्ते की मजबूती अधिकार जताने में नहीं, बल्कि एक-दूसरे का सम्मान करने में होती है। जहाँ प्रेम के साथ विश्वास हो, विश्वास के साथ उत्तरदायित्व हो और उत्तरदायित्व के साथ संवेदनशीलता हो, वहीं संबंध अपनी सबसे सुंदर अवस्था को प्राप्त करता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार, धैर्य, त्याग और परस्पर समझ से मजबूत होते हैं।

प्रिय हर्षित और शीना, आज आप दोनों अपने जीवन की एक नई यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। ईश्वर करे आपका यह साथ केवल आज की मुस्कान तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन के हर सुख-दुख, हर सफलता और हर चुनौती में और अधिक मजबूत होता जाए। आपके बीच प्रेम कभी कम न हो, विश्वास कभी टूटे नहीं और सम्मान हमेशा आपके रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान बना रहे।

आप दोनों का जीवन खुशियों, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और आत्मीयता से परिपूर्ण हो। परिवार का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा सदा आपके साथ बनी रहे। माँगते हैं कि आपका यह संबंध समय के साथ और भी मधुर, गहरा और प्रेरणादायी बने।

लाईफ वर्सिटी (SCGNEWS) परिवार की ओर से आप दोनों को सगाई की हार्दिक शुभकामनाएँ। ईश्वर आपके जीवन को प्रेम, आनंद और मंगलमय भविष्य से आलोकित करे।

सेवा सेतु

जनता के द्वार, डिजिटल सरकार

डिजिटल सुशासन की नई पहचान
सेवाएं हुईं **त्वरित, पारदर्शी और आसान**

520
शासकीय सेवाएं

घर बैठे, एक क्लिक में

नागरिकों के लिए सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं

95.9%
आवेदनों का निराकरण

38 लाख+ आवेदन

16,700+ सेवा केंद्र

36 विभाग एक मंच पर

प्रमुख सेवाएं

- ✓ **जाति प्रमाण** पत्र
- ✓ **आय प्रमाण** पत्र
- ✓ **निवास प्रमाण** पत्र
- ✓ **विवाह प्रमाण** पत्र
- ✓ **राशन कार्ड** सेवाएं
- ✓ **पेंशन** योजनाएं
- ✓ नाम **परिवर्तन सेवा**
- ✓ व्यापार **लाइसेंस**

संवाद- 13896/196

अधिक जानकारी हेतु स्कैन करें

जनहित में तकनीक, जनसेवा में नवाचार

sewasetu.cgstate.gov.in

92034 06400